



मामला सं. एडी (ओआई) - 42/2024

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/45/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 25.09.2026

अंतिम जाँच परिणाम

विषय: चीन जनवादी गणराज्य में उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित “वॉलपेपर्स” के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच।

क पृष्ठभूमि

1. फा. सं. 6/45/2024-डीजीटीआर - समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “पाटनरोधी नियमावली” अथवा “नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;
2. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की ओर से एक्सिमस वॉलपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक”, “याचिकाकर्ता” अथवा “घरेलू उद्योग” कहा गया है) द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ,

जिसमें चीन जनवादी गणराज्य में उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित वॉलपेपर्स (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद”, “पीयूसी” अथवा “संबद्ध वस्तु” कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। चीन जनवादी गणराज्य को आगे “विषय देश” तथा वहाँ से विचाराधीन उत्पाद के आयात को “संबद्ध आयात” कहा गया है।

3. प्राधिकारी ने आवेदन की जाँच की और प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया कि विषय देश से निर्यात पाटित कीमतों पर किए जा रहे थे तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी। तदनुसार, नियमावली के नियम 5 एवं 6 के अनुसार, अधिसूचना फा. सं. 6/45/2024-डीजीटीआर दिनांक 27 सितम्बर 2025 के माध्यम से प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव की जाँच करने तथा ऐसे पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए जाँच प्रारंभ की, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

ख प्रक्रिया

4. वर्तमान जाँच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है।

4.1 जाँच प्रारंभ करना

- i. नियम 5(5) के अनुसार, जाँच प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकारी ने भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास के माध्यम से चीन सरकार को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने की सूचना दी।
- ii. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदन की जाँच करने पर प्राधिकारी को पाटन तथा परिणामी क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले। अतः नियम 5 और 6 के अनुसार, अधिसूचना फा. सं. 6/45/2024-डीजीटीआर दिनांक 27 सितम्बर 2025 (“जाँच प्रारंभ अधिसूचना”) के माध्यम से वर्तमान कार्यवाही प्रारंभ की गई।

4.2 जाँच अवधि तथा क्षति अवधि

- i. जाँच प्रारंभ अधिसूचना में उल्लेखित अनुसार, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जाँच अवधि (“पीओआई”) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, अर्थात् 12 माह की है। क्षति जाँच अवधि में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तथा जाँच अवधि शामिल हैं।

4.3 आयात आँकड़े

- i. संबद्ध वस्तु के क्षति अवधि तथा जाँच अवधि के लेन-देन-वार आयात आँकड़ों के लिए सिस्टम्स एवं डेटा प्रबंधन महानिदेशालय ("डीजी सिस्टम्स") से अनुरोध किया गया। सभी देशों के संबंध में टैरिफ मद 4814 20 00 और 4814 90 00 के लिए 1 अप्रैल 2021 से 10 अगस्त 2025 तक के आँकड़े प्राप्त किए गए। प्राधिकारी ने लेन-देन की उचित जाँच एवं वर्गीकरण के बाद आयात मात्रा की गणना तथा आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों पर भरोसा किया है।

4.4 आवेदन के अगोपनीय संस्करण का परिसंचरण

- i. नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय संस्करण की प्रति ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों तथा भारत में विषय देश के दूतावास के माध्यम से उसकी सरकार को उपलब्ध कराई। अनुरोध किए जाने पर अन्य इच्छुक पक्षकारों को भी आवेदन के अगोपनीय संस्करण की प्रति उपलब्ध कराई गई।

4.5 विषय देश के निर्यातकों की भागीदारी

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी। प्राधिकारी ने विषय देश की सरकार को भी भारत स्थित उसके दूतावास के माध्यम से प्रश्नावली भेजी और अनुरोध किया कि जाँच प्रारंभ अधिसूचना तथा प्रश्नावली चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों को भेजी जाए तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा में उत्तर देने की सलाह दी जाए।
- ii. विषय देश के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने स्वयं को इच्छुक पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया तथा वर्तमान कार्यवाही में निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया:

क्र. सं.	उत्पादक / निर्यातक
1	जियांगशी कासावॉल इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
2	जियांगशी झुओया इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड

- iii. विषय देश के किसी अन्य उत्पादक अथवा निर्यातक ने वर्तमान जाँच में प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया।

4.6 आयातकों और उपयोगकर्ताओं की भागीदारी

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिए आयातक एवं उपयोगकर्ता प्रश्नावली भेजी। निम्नलिखित आयातकों, उपयोगकर्ताओं और

एसोसिएशनों ने वर्तमान कार्यवाही में स्वयं को इच्छुक पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है:

क्र. सं.	आयातक / उपयोगकर्ता / एसोसिएशन
1	एक्सेल होम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड
2	ऑल इंडिया वॉलपेपर कवरिंग एसोसिएशन

- ii. ऑल इंडिया वॉलपेपर कवरिंग एसोसिएशन ("एआईडब्ल्यूए") को वॉलपेपर के आयातकों और उपयोगकर्ताओं की ऐसी एसोसिएशन बताया गया है जिसमें 40 से अधिक सदस्य हैं। इसके सदस्यों में केवल एक्सेल होम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड ने आयातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है।

4.7 पंजीकृत इच्छुक पक्षकार

- i. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत करने वाले सभी इच्छुक पक्षकारों की सूची 20 जनवरी 2026 को प्राधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड की गई। सभी पंजीकृत इच्छुक पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे वर्तमान कार्यवाही में अपनी सभी प्रस्तुतियों का अगोपनीय संस्करण अन्य सभी इच्छुक पक्षकारों के साथ साझा करें।

4.8 आर्थिक हित प्रश्नावली

- i. प्राधिकारी ने विषय देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों और उत्पादकों, आयातकों और उपयोगकर्ताओं तथा घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है। किसी आयातक अथवा उपयोगकर्ता ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है।

4.9 मौखिक सुनवाई

- i. नियमावली i. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 7 अगस्त 2026 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध 12 अगस्त 2026 तक और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध 17 अगस्त 2026 तक दायर करें। घरेलू उद्योग द्वारा तथा समेकित आधार पर जियांगशी कासावॉल इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, जियांगशी झुओया इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, एक्सेल होम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड और एआईडब्ल्यूए (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से

“प्रतिवादी” कहा गया है) द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर अनुरोध दायर किए गए।

4.10 आगे की कार्यवाही

- i. जाँच प्रारंभ अधिसूचना में इच्छुक पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा उत्पाद नियंत्रण संख्या (“पीसीएन”) पद्धति पर अपनी टिप्पणियाँ दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। एआईडब्ल्यूए से 29 अक्टूबर 2025 को टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं, जिनके विरुद्ध घरेलू उद्योग ने 11 नवम्बर 2025 को अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया। प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 19 नवम्बर 2025 की सूचना के माध्यम से वर्तमान जाँच में विचार किए जाने वाले उत्पाद दायरे तथा पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया और इसे प्राधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया। इसके बाद प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने की समय-सीमा 5 दिसम्बर 2025 तक बढ़ाई गई।
- ii. प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया। सभी इच्छुक पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई और सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपनी प्रस्तुतियों का अगोपनीय संस्करण अन्य सभी इच्छुक पक्षकारों को ई-मेल करें।
- iii. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति-रहित कीमत (“एनआईपी”) की गणना यह निर्धारित करने के लिए की कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री की इष्टतम लागत तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए की गई।
- iv. वर्तमान अंतिम जाँच परिणाम तैयार करते समय प्राधिकारी ने कार्यवाही के दौरान इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, उपलब्ध कराई गई सूचना और की गई प्रस्तुतियों की, जहाँ तक वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित थीं तथा वर्तमान जाँच के लिए प्रासंगिक मानी गई, जाँच की है।
- v. नियम 6(8) के अनुसार, जहाँ किसी इच्छुक पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुँच देने से इंकार किया, समय पर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई अथवा जाँच में महत्वपूर्ण बाधा डाली, वहाँ प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए।

- vi. नियम 7 के अनुसार, इच्छुक पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता की प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई। संतुष्ट होने पर जहाँ उचित था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया गया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों को उसका प्रकटीकरण नहीं किया गया। जहाँ संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को उस सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
- vii. जाँच के दौरान प्राधिकारी ने, जहाँ तक संभव था, इच्छुक पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई उस सूचना की शुद्धता से स्वयं को संतुष्ट किया जो वर्तमान अंतिम जाँच परिणाम का आधार है तथा सभी इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत ऑकड़ों एवं दस्तावेजों की, जहाँ तक प्रासंगिक, व्यावहारिक और आवश्यक समझा गया, जाँच की। वर्तमान अंतिम जाँच परिणाम में किए गए निर्धारण प्रश्नावली उत्तरों की डेस्क जाँच तथा उचित सत्यापन के आधार पर किए गए हैं।
- viii. वर्तमान पाटनरोधी जाँच से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण करते हुए प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार दिनांक **15.09.2026** को प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया। प्रकटीकरण विवरण पर इच्छुक पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों पर, जहाँ तक वे प्रासंगिक और पुनरावृत्तिपूर्ण नहीं पाई गईं, इन अंतिम जाँच परिणामों में विचार किया गया है।
- ix. इन अंतिम जाँच परिणामों में '***' से ऐसी सूचना अभिप्रेत है जो किसी इच्छुक पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई है और जिसे प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत गोपनीय माना गया है।
- x. संबद्ध जाँच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर **1 अमेरिकी डॉलर = ₹85.43** है। यह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित तथा जाँच अवधि के दौरान प्रभावी विनिमय दरों का औसत है। यही विनिमय दर इन अंतिम जाँच परिणामों में सर्वत्र लागू की गई है। **स्रोत:** <https://foservices.icegat.gov.in/#/services/viewExchangeRate>

ग विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

ग.1 अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

5. विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा समान वस्तु के संबंध में अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं। स्पष्टता के लिए प्रस्तुतियों को मुद्दा-वार समूहित किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद के दायरे का अत्यधिक व्यापक होना तथा दायरे पर प्रदान किया गया अवसर

- i. अन्य इच्छुक पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे की परिभाषा अत्यधिक व्यापक है और इसमें ऐसे अनेक प्रकार एवं वैरिएंट शामिल हैं जो घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों से तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से भिन्न हैं। पीयूसी के कुछ विशेष एवं कार्यात्मक प्रकारों का घरेलू उद्योग द्वारा न तो उत्पादन किया जाता है और न ही बिक्री की जाती है और इसलिए वे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा सकते। ऐसे ग्रेडों को विश्व व्यापार संगठन कानून, पाटनरोधी नियमावली तथा प्राधिकारी की निरंतर प्रथा के अनुरूप दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- ii. प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2025 की प्रस्तुतियों में उठाए गए मुद्दों को पीयूसी के दायरे को अंतिम रूप देते समय न तो सुना गया और न ही उनका निपटारा किया गया। पाटनरोधी जाँच अर्ध-न्यायिक प्रकृति की कार्यवाही है और इच्छुक पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई निर्णय उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना नहीं लिया जा सकता। प्रतिवादी पक्षकारों ने विशेष रूप से यह स्पष्टीकरण माँगा था कि कुछ ग्रेड पीयूसी के दायरे में आते हैं अथवा उससे बाहर हैं, किंतु दायरे को अंतिम रूप देने से पहले ऐसा कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया। अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि प्रस्तुत तर्कों पर निर्णय लिया जाए तथा जिन ग्रेडों के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा गया है, उनके संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया जाए।

फाँइल की परत वाले पीवीसी तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स को बाहर रखने का अनुरोध

- iii. प्रतिवादी पक्षकारों ने फाँइल की परत वाले पीवीसी तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स को इस आधार पर दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वॉलपेपर के समान वस्तु नहीं हैं। फाँइलयुक्त वॉलपेपर्स उत्पाद विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, अंतिम उपयोग, लागत तथा कीमत के संदर्भ में पारंपरिक वॉलपेपर्स से काफी भिन्न हैं। उन्होंने आगे दावा किया है कि घरेलू उद्योग फाँइल की परत वाले

वॉलपेपर्स का वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन नहीं करता। यदि घरेलू उद्योग ने ऐसे उत्पादों का सीमित उत्पादन किया भी हो, तो इतनी नगण्य मात्रा में उत्पादन उनके पीयूसी के दायरे में शामिल किए जाने को उचित नहीं ठहराता।

- iv. घरेलू उद्योग ने कहा है कि उसके पास संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनरी उपलब्ध है। तथापि, उसने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उसने वास्तव में जाँच अवधि अथवा क्षति अवधि के दौरान ऐसी वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री की थी। उत्पादन अभिलेख, बिक्री चालान अथवा क्षमता उपयोग संबंधी विवरण के अभाव में केवल विनिर्माण सुविधाओं का अस्तित्व संबंधित अवधि के दौरान ऐसे उत्पादों के वास्तविक उत्पादन को स्थापित नहीं कर सकता। घरेलू उद्योग द्वारा जिन साक्ष्यों पर भरोसा किया गया है, उन्हें भी गोपनीय बताया गया है और इसलिए प्रतिवादी पक्षकार उन पर भरोसा नहीं कर सके।

अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स (70 सेमी और 106 सेमी) को बाहर रखने का अनुरोध

- v. विशेष रूप से 70 सेमी और 106 सेमी चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स को इस आधार पर दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ऐसी चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स का उत्पादन नहीं करता। अधिक चौड़ाई वाले ये वॉलपेपर्स मानक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स के साथ तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं और इसलिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(d) के अर्थ में समान वस्तु नहीं माने जा सकते।
- vi. घरेलू उद्योग का यह तर्क कि अधिक चौड़ाई वाले रोल को काटकर 53 सेमी चौड़ाई वाले रोल में बदला जा सकता है, उचित नहीं है। वॉलपेपर्स डिजाइन-आधारित उत्पाद हैं और 70 सेमी अथवा 106 सेमी चौड़ाई वाले वॉलपेपर को दो या अधिक संकरे रोल में काटने से डिजाइन पैटर्न बिगड़ जाएगा तथा वॉलपेपर अपने अभिप्रेत उपयोग के लिए अनुपयोगी हो जाएगा। अतः आयातकों अथवा अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स को काटकर मानक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स में बदलना न तो तकनीकी रूप से व्यवहार्य है और न ही वाणिज्यिक रूप से उचित।
- vii. अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स वास्तविक और विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन्हें विशेष रूप से कुछ वाणिज्यिक तथा आतिथ्य क्षेत्र के निर्माण कार्यों के लिए डिजाइन और पसंद किया जाता है, जहाँ निर्बाध स्थापना, दिखाई देने वाले जोड़ कम करने तथा बड़े प्रारूप के डिजाइन की अखंडता बनाए रखने के लिए अधिक चौड़े

पैनलों की आवश्यकता होती है। ऐसे विशिष्ट अंतिम उपयोगों का अस्तित्व यह दर्शाता है कि अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स एक पृथक उत्पाद खंड हैं।

- viii. बिना किसी पूर्वाग्रह के, यदि घरेलू उद्योग के इस तर्क को स्वीकार किया जाता है कि आयातों को विभाजित करने अथवा शुल्क से बचने का जोखिम है, तो प्राधिकारी उचित अंतिम-उपयोग संबंधी शर्तें लगा सकता है, जैसा कि पूर्व जाँचों में किया गया है। इस संबंध में ऑस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान तथा रूस से लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच, मामला सं. एडी(ओआई)-03/2025, पर भरोसा किया गया है, जिसमें प्राधिकारी ने विशिष्ट अंतिम-उपयोग संबंधी शर्तें निर्धारित की थीं। शुल्क से बचने संबंधी चिंताओं का समाधान करने तथा वास्तविक अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।
- ix. मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग ने कहा कि वह भारत में अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स का विनिर्माण कर सकता है। प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वह सत्यापित करे कि संबंधित अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने भारत में अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स का वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादन और बिक्री की है या नहीं। ऐसे उत्पादन और बिक्री के साक्ष्य के अभाव में उत्पाद के दायरे को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।

250 GSM से अधिक मोटाई वाले वॉलपेपर्स को बाहर रखने का अनुरोध

- x. 250 GSM से अधिक मोटाई वाले वॉलपेपर्स को इस आधार पर दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग उनका उत्पादन नहीं करता तथा 250 GSM वॉलपेपर और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मानक वॉलपेपर्स की लागत तथा कीमत में महत्वपूर्ण अंतर है।
- xi. घरेलू उद्योग ने अपनी लिखित प्रस्तुतियों के पैरा 44 में कहा है कि वह 300 GSM वॉलपेपर के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के नमूना खरीद चालान प्रस्तुत कर रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग ने ऐसे वॉलपेपर की बिक्री को प्रमाणित करने वाले कोई नमूना बिक्री चालान प्रस्तुत नहीं किए हैं। केवल कच्चे माल की खरीद अपने आप में तैयार उत्पाद के वास्तविक उत्पादन अथवा वाणिज्यिक बिक्री को स्थापित नहीं करती। अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वह सत्यापित करे कि घरेलू उद्योग ने संबंधित अवधि के दौरान वास्तव में 300 GSM वॉलपेपर का वाणिज्यिक मात्रा में

उत्पादन और बिक्री की है या नहीं तथा ऐसे दावों को स्वीकार करने से पूर्व सहायक उत्पादन एवं बिक्री अभिलेखों की जाँच करे।

स्क्रीन-प्रिंट वॉलपेपर्स को बाहर रखने का अनुरोध

- xii. स्क्रीन-प्रिंट वॉलपेपर्स को जाँच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग उनका उत्पादन नहीं करता और वे उत्पादन प्रक्रिया, डिजाइन क्षमता तथा उत्पादन मात्रा की दृष्टि से सामान्य प्रिंटेड वॉलपेपर्स से मूलतः भिन्न हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रत्येक रंग के लिए अलग स्क्रीन स्टेंसिल की आवश्यकता होती है और प्रत्येक रंग को अलग-अलग प्रिंट किया जाता है। इसके विपरीत, सामान्य वॉलपेपर्स रोटोग्रैवियर तकनीक से बनाए जाते हैं, जो पूर्णतः स्वचालित और उच्च-मात्रा उत्पादन प्रक्रिया है, जिसमें उत्कीर्ण सिलेंडरों के माध्यम से तेज गति से स्याही स्थानांतरित की जाती है और सीमित टेक्सचर भिन्नता के साथ समान प्रिंट तैयार होते हैं। स्क्रीन-प्रिंट वॉलपेपर्स का बाजार खंड बड़े पैमाने पर उत्पादित पीवीसी अथवा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स से अलग है तथा उनकी लागत और कीमत में भी पर्याप्त अंतर है।

पीसीएन पद्धति

- xiii. प्रतिवादी पक्षकारों ने दिनांक 29 अक्टूबर 2025 की अपनी प्रस्तुतियों में समान-से-समान तुलना सुनिश्चित करने के लिए पीसीएन के उचित निर्धारण से संबंधित तर्क प्रस्तुत किए थे। इनमें बेस पेपर पर विनाइल कोटिंग के प्रकार तथा बेस पेपर के GSM को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग पीसीएन बनाए जाने का अनुरोध भी शामिल था। इन प्रस्तुतियों का पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देते समय निपटारा नहीं किया गया।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

6. विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं।

विचाराधीन उत्पाद के दायरे का अत्यधिक व्यापक होना तथा दायरे पर प्रदान किया गया अवसर

- i. एसोसिएशन द्वारा पीयूसी के दायरे तथा पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ 29 अक्टूबर 2025 को दाखिल की गई थीं, जबकि इसके लिए अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2025

- थी। अतः ये टिप्पणियाँ विलंब से दाखिल किए जाने के कारण अस्वीकार किए जाने योग्य हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह के, घरेलू उद्योग ने 11 नवम्बर 2025 को प्रत्येक अनुरोध के गुण-दोष पर विस्तृत प्रत्युत्तर दाखिल किया था।
- ii. यह दावा कि प्रतिवादी पक्षकारों को न तो सुना गया और न ही उनकी प्रस्तुतियों पर विचार किया गया, तथ्यात्मक रूप से गलत है। प्राधिकारी ने 19 नवम्बर 2025 की सूचना में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि इच्छुक पक्षकारों से टिप्पणियाँ और प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा सभी प्रस्तुतियों की जाँच करने के बाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति में कोई संशोधन नहीं करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर तथा प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का अवसर दिया गया है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
- iii. पीयूसी से किसी उत्पाद को बाहर रखना सामान्यतः लागू उत्पाद दायरे का अपवाद है। अतः किसी उत्पाद को बाहर रखने का अनुरोध करने वाले पक्षकार पर यह दायित्व है कि वह सत्यापन योग्य साक्ष्यों के माध्यम से यह प्रदर्शित करे कि बाहर रखने के लिए अनुरोधित उत्पाद संबद्ध वस्तु से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है और उसे युक्तिसंगत रूप से समान वस्तु नहीं माना जा सकता। संरचना, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, तकनीकी विशेषताओं, अंतिम उपयोग, ग्राहक आधार, वितरण चैनल अथवा वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता से संबंधित साक्ष्य के बिना किए गए केवल दावे पर्याप्त नहीं हैं।

फॉइल की परत वाले पीवीसी तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स को बाहर रखने का अनुरोध

- iv. घरेलू उद्योग के पास फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स का विनिर्माण करने की क्षमता और तकनीकी दक्षता ही नहीं है, बल्कि वह भारतीय बाजार में वास्तव में उनका उत्पादन और वाणिज्यिक आपूर्ति भी कर रहा है। उसकी विनिर्माण सुविधा में एक समर्पित फॉइलिंग स्टेशन तथा आवश्यक सभी मशीनरी उपलब्ध हैं। घरेलू उद्योग पिछले तीन वर्षों से भारत के सबसे बड़े वॉलपेपर ब्रांडों में से एक को फॉइल-आधारित वॉलपेपर्स का उत्पादन और आपूर्ति कर रहा है, जो बाजार में उसकी वाणिज्यिक उपस्थिति को स्थापित करता है। फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स की बिक्री के नमूना चालान, फॉइल-आधारित डिजाइनों को दर्शाने वाला उत्पाद कैटलॉग तथा ऐसे उत्पादन में प्रयुक्त फॉइल कच्चे माल के आयात को प्रमाणित करने वाले चालान अभिलेख पर रखे गए हैं।

- v. आयातकों और व्यापारियों ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उन्होंने ऐसे वॉलपेपर्स की आपूर्ति के लिए घरेलू उद्योग से माँग की हो और घरेलू उद्योग ने उन्हें यह कहते हुए आपूर्ति से इंकार किया हो कि वह ऐसे उत्पाद का विनिर्माण करने में सक्षम नहीं है। यह आपत्ति कि प्रस्तुत साक्ष्यों को गोपनीय बताया गया है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नमूना चालान अपनी प्रकृति से ही व्यवसाय-संवेदनशील होते हैं।

अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स (70 सेमी और 106 सेमी) को बाहर रखने का अनुरोध

- vi. चौड़ाई केवल उसी उत्पाद का एक आयामी अंतर है और इससे वॉलपेपर की मूलभूत विशेषताएँ, संरचना अथवा अभिप्रेत उपयोग नहीं बदलता। चौड़ाई चाहे जो भी हो, वॉलपेपर्स में समान कच्चे माल, जैसे बेस पेपर अथवा नॉन-वोवन सब्सट्रेट, पीवीसी कोटिंग, इंक और एडहेसिव का उपयोग होता है; समान विनिर्माण प्रक्रिया, अर्थात् प्रिंटिंग, कोटिंग, एम्बॉसिंग और लैमिनेटिंग अपनाई जाती है; तथा उनका सजावटी कार्य भी समान रहता है। नियम 2(d) के अंतर्गत प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या उत्पाद समान हैं अथवा जाँचाधीन उत्पाद से निकटता से मिलती-जुलती विशेषताएँ रखते हैं। इसका आकलन भौतिक विशेषताओं, कार्य और उपयोग, विनिर्देश, कीमत, वितरण और विपणन, टैरिफ वर्गीकरण तथा तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता के आधार पर किया जाता है।
- vii. चीन जनवादी गणराज्य से वॉलपेपर के लगभग 98% आयात मानक 53 सेमी चौड़ाई में होते हैं। अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स सामान्यतः कोरिया से अधिक कीमत पर आयात किए जाते हैं, जबकि कोरिया वर्तमान जाँच में विषय देश नहीं है। 106 सेमी प्रारूप मूलतः कोरियाई मानक है, जो उस बाजार की आवासीय परंपराओं और निर्माण पद्धतियों के कारण विकसित हुआ है, जबकि भारतीय बाजार पारंपरिक रूप से 53 सेमी प्रारूप पर विकसित हुआ है। चीन जनवादी गणराज्य से 70 सेमी चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स का कोई आयात नहीं है। प्रतिवादी पक्षकारों ने विषय देश से 70 सेमी अथवा 106 सेमी वॉलपेपर्स के आयात को प्रमाणित करने वाला कोई बिल ऑफ एंट्री अथवा आयात मात्रा संबंधी आँकड़ा अभिलेख पर नहीं रखा है, जबकि ऐसे आँकड़े उनके पास उपलब्ध हैं। प्राधिकारी इसकी जाँच एक्सेल होम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के आयातक प्रश्नावली उत्तर तथा निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों से कर सकता है।
- viii. यह तर्क कि चौड़े रोल को काटने से डिजाइन विकृत हो जाएगा, उचित नहीं है। वॉलपेपर की स्थापना स्वयं रोल से पट्टियाँ काटकर तथा किनारों पर डिजाइन मिलाकर की

जाती है, जिससे जोड़ लगभग दिखाई नहीं देते। वॉलपेपर की स्थापना में कई पट्टियों अथवा पैनलों को एक-दूसरे के साथ लगाकर एक सतत दृश्य डिजाइन बनाया जाता है। बड़े प्रारूप वाले डिजाइन भी पैटर्न मिलाते हुए वॉलपेपर पैनलों की स्थापना करके लगाए जाते हैं। 106 सेमी रोल को दो 53 सेमी रोल में काटने में नगण्य लागत आती है और इसके लिए किसी विशेष तकनीकी प्रयास, मशीनरी अथवा कौशल की आवश्यकता नहीं होती।

- ix. “वास्तविक और पृथक बाजार आवश्यकताओं” तथा “वाणिज्यिक और आतिथ्य निर्माण” पर किया गया भरोसा अस्पष्ट और असमर्थित है। किसी भी वाणिज्यिक अथवा आतिथ्य निर्माण संस्था ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है। भारत के प्रमुख ब्रांड उन्हीं वाणिज्यिक और आतिथ्य क्षेत्र के ग्राहकों को मानक आकार के वॉलपेपर्स बेचते हैं, जिससे उनकी वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता स्थापित होती है।
- x. लो एश मेटलर्जिकल कोक जाँच पर भरोसा करना उचित नहीं है। उस मामले में अंतिम उपयोगकर्ताओं ने स्वयं जाँच में भाग लिया था और प्राधिकारी ने पाया था कि घरेलू उद्योग फेरोएलॉय अनुप्रयोगों में प्रयुक्त विशिष्ट ग्रेड का उत्पादन नहीं करता था। वर्तमान जाँच में किसी अंतिम उपयोगकर्ता ने भाग नहीं लिया है। वॉलपेपर का अंतिम उपयोगकर्ता बिल्डर अथवा घर खरीदार होता है; वर्तमान जाँच में भाग लेने वाले पक्षकार आयातक और व्यापारी हैं, जो डीलरों और खुदरा विक्रेताओं को पुनर्विक्रय के लिए बड़ी मात्रा में खरीद करते हैं और उन्हें अंतिम उपयोगकर्ता नहीं माना जा सकता। अतः अंतिम उपयोग आधारित छूट का कोई आधार नहीं है और इसका एकमात्र परिणाम शुल्क से बचने के अवसर पैदा करना होगा। लगभग ₹157 प्रति किलोग्राम के आयात मूल्य पर गैर-मानक चौड़ाई में आयात करके और भारत में सामग्री को काटकर किसी भी शुल्क से आसानी से बचा जा सकता है।
- xi. चीन जनवादी गणराज्य से कुछ फ्लैट रोल्ड एल्युमिनियम उत्पादों से संबंधित मामला सं. एडी(ओआई)-22/2020 के अंतिम जाँच परिणामों पर भरोसा किया गया है, जिसमें प्राधिकारी ने भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देश, वितरण एवं विपणन, कार्य तथा टैरिफ वर्गीकरण में किसी ज्ञात अंतर के अभाव में 1950 मिमी से अधिक चौड़ाई वाले फॉइल स्टॉक को बाहर रखने से इंकार किया था।

250 GSM से अधिक मोटाई वाले वॉलपेपर्स को बाहर रखने का अनुरोध

- xii. घरेलू उद्योग 150 से 300 GSM के बीच वॉलपेपर्स का विनिर्माण करता है और अपने नियमित वाणिज्यिक उत्पादन के अंतर्गत लगातार ऐसा करता रहा है। 300 GSM वॉलपेपर के उत्पादन के लिए आवश्यक बेस पेपर की खरीद के नमूना चालान तथा ऐसे उत्पादन की पुष्टि करने वाली प्रासंगिक तस्वीरें अभिलेख पर रखी गई हैं।
- xiii. GSM विनिर्माण में प्रयुक्त बेस पेपर से संबंधित है। अधिक GSM केवल अधिक मोटे अथवा अधिक घने सबस्ट्रेट को दर्शाता है और इससे उत्पाद की मूल प्रकृति नहीं बदलती तथा विनिर्माण अवसंरचना, प्रिंटिंग अथवा कोटिंग प्रक्रिया में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। मौजूदा कोटिंग, प्रिंटिंग, एम्बॉसिंग और लैमिनेटिंग स्टेशन किसी भी ग्रामेज वाले सबस्ट्रेट को संसाधित करने में पूर्णतः सक्षम हैं और एक ही उत्पादन लाइन अलग-अलग GSM वाले सबस्ट्रेट के बीच मशीनरी अथवा प्रक्रिया में किसी बदलाव के बिना परिवर्तन कर सकती है। विभिन्न GSM श्रेणियों में अंतिम उपयोग, दृश्य स्वरूप, सतही फिनिश तथा स्थापना की विधि समान रहती है।

स्क्रीन-प्रिंट वॉलपेपर्स को बाहर रखने का अनुरोध

- xiv. स्क्रीन प्रिंटिंग कोई पृथक विनिर्माण प्रक्रिया अथवा उत्पाद लाइन नहीं है, बल्कि उसी एकीकृत उत्पादन ढाँचे के भीतर प्रयुक्त एक वैकल्पिक सतह-सुधार तकनीक है। घरेलू उद्योग की विनिर्माण सुविधा में रोटोग्रैवियर तथा स्क्रीन-प्रिंटिंग, दोनों इकाइयाँ एक ही सतत उत्पादन लाइन के हिस्से के रूप में स्थापित हैं। स्क्रीन-प्रिंटिंग स्टेशन, रोटोग्रैवियर सिलेंडर और स्क्रीन सिलेंडर की तस्वीरें अभिलेख पर रखी गई हैं।
- xv. यद्यपि इंक ट्रांसफर की पद्धति अलग है, तथापि अंतिम परिणाम और प्रिंटेड वॉलपेपर की दृश्य विशेषताएँ समान रहती हैं तथा दोनों प्रक्रियाओं में समान सबस्ट्रेट, इंक और कोटिंग का उपयोग होता है। स्क्रीन-प्रिंट तकनीक मेश सिलेंडरों के माध्यम से अधिक प्रिंटिंग इंक डालती है, जबकि रोटोग्रैवियर तकनीक क्रमशः अधिक सिलेंडरों का उपयोग करके समान परिणाम प्राप्त करती है। एक ही डिजाइन दोनों तकनीकों से प्रिंट किया जा सकता है; अंतर केवल प्रति डिजाइन गति और उत्पादकता का है। कोई निर्माता अपने चालानों में आंतरिक प्रिंटिंग तकनीक दर्ज नहीं करता और न ही आयात विवरण अथवा चालान विवरण में ऐसा कोई भेद किया जाता है। घरेलू उद्योग से ऐसी बिक्री को चालानों के माध्यम से प्रमाणित करने की माँग ऐसा दायित्व डालती है जिसे प्रतिवादी पक्षकार स्वयं भी पूरा नहीं कर सकते। केवल लागत और कीमत में अंतर किसी उत्पाद को दायरे से बाहर रखने का आधार नहीं है। कीमतों में भिन्नता डिजाइन

की जटिलता, फिनिश तथा ब्रांड पोजिशनिंग के कारण होती है, जो एक ही उत्पाद श्रेणी के भीतर स्वाभाविक विविधताएँ हैं।

पीसीएन पद्धति

- xvi. “विनाइल कोटिंग के प्रकार” तथा “बेस पेपर के GSM” के लिए अलग पीसीएन निर्धारित करने के अनुरोध केवल दावे थे, जिनके समर्थन में कोई मानदंड, तकनीकी परिभाषा, वाणिज्यिक औचित्य अथवा विनिर्देश उपलब्ध नहीं कराया गया। विनाइल कोटिंग के विभिन्न प्रकार, ग्रेड अथवा संरचना के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं बताया गया और यह भी प्रदर्शित नहीं किया गया कि ऐसे अंतर भौतिक, रासायनिक अथवा कार्यात्मक विशेषताओं, अंतिम उपयोग, लागत अथवा कीमत में कोई महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न करते हैं। जहाँ तक बेस पेपर के GSM का संबंध है, प्रति किलोग्राम अथवा प्रति मीट्रिक टन के आधार पर कोई लागत अथवा कीमत का अंतर प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि वर्तमान जाँच में माप की इकाई भार है, न कि रोल अथवा पीस।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

7. वर्तमान जाँच प्रारंभ करते समय प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नानुसार माना था:

“वर्तमान जाँच के लिए विचाराधीन उत्पाद वॉलपेपर्स हैं, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड (“पीवीसी”) वॉलपेपर्स तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स तक सीमित हैं।”

8. पीवीसी वॉलपेपर ऐसा दीवार आवरण है जिसमें पीवीसी-कोटेड पेपर पर डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं। पीवीसी कोटिंग के कारण पेपर को साफ करना आसान होता है और यह रसोईघर, स्नानघर तथा गलियारे जैसे क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। सामान्यतः इसे गर्म करने के बाद एम्बॉस किया जाता है, जिससे डिजाइन में गहराई तथा स्पर्शनीय सजावटी प्रभाव उत्पन्न होता है। नॉन-वोवन वॉलपेपर ऐसा दीवार आवरण है जिसमें नॉन-वोवन पेपर पर डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं। यह वायु-पारगम्य, फटने से प्रतिरोधी तथा टिकाऊ होता है, गीला होने पर फैलता नहीं है और दीवार को नुकसान पहुँचाए बिना पट्टियों में उतारा जा सकता है। डिजिटल कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, नेचुरल वॉलपेपर तथा फैब्रिक-बैकड वॉलपेपर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

9. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-1 के अध्याय 48 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और उनका आयात टैरिफ मद 4814 20 00 तथा 4814 90 00 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
10. प्राधिकारी ने जाँच प्रारंभ करने के चरण में प्रस्तावित पीसीएन पद्धति अधिसूचित की थी, जिसमें दो उत्पाद नियंत्रण संख्याएँ थीं, अर्थात् पीवीसी वॉलपेपर ("पीवीसी") तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर ("एन डब्ल्यू")। पीयूसी के दायरे तथा पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं और प्राप्त सभी प्रस्तुतियों की जाँच के बाद प्राधिकारी ने दिनांक 19 नवम्बर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा पीसीएन पद्धति की पुष्टि की।

विचाराधीन उत्पाद का अत्यधिक व्यापक दायरा तथा दायरे पर अवसर

11. प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच के प्रारंभिक चरण में ही इच्छुक पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियाँ देने का अवसर प्रदान किया गया था। एसोसिएशन द्वारा निर्धारित तिथि के बाद टिप्पणियाँ दाखिल की गई थीं, फिर भी उन्हें अभिलेख पर लिया गया और उनकी जाँच की गई। घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल प्रत्युत्तरों की भी जाँच की गई। दिनांक 19 नवम्बर 2025 की अधिसूचना में यह दर्ज है कि दायरे की पुष्टि करने से पूर्व सभी प्रस्तुतियों की जाँच की गई थी। इसके बाद इच्छुक पक्षकारों को 7 अगस्त 2026 को आयोजित मौखिक सुनवाई में, लिखित प्रस्तुतियों में तथा प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों में उत्पाद के दायरे पर अपने तर्क रखने का एक और अवसर प्राप्त हुआ और इन सभी पर विचार किया गया है। अतः प्राधिकारी को ऐसा नहीं लगता कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में किसी इच्छुक पक्षकार को युक्तिसंगत अवसर से वंचित किया गया है।
12. जहाँ तक अलग-अलग ग्रेडों पर पृथक स्पष्टीकरण देने के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा दो श्रेणियों के संदर्भ में निर्धारित किया गया है, अर्थात् पीवीसी वॉलपेपर्स और नॉन-वोवन वॉलपेपर्स, तथा इसमें तीन स्पष्ट अपवर्जन हैं—डिजिटल कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, नेचुरल वॉलपेपर और फैब्रिक-बैकड वॉलपेपर—जैसा कि जाँच प्रारंभ अधिसूचना में उल्लेख किया गया था। प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा किए गए चार अपवर्जन अनुरोधों की नीचे गुण-दोष के आधार पर जाँच की गई है और यही जाँच उनके द्वारा माँगे गए निर्धारण के रूप में मानी जाती है। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि अपवर्जन का विधिक परीक्षण यह नहीं है कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के प्रत्येक प्रकार का उत्पादन करता

है या नहीं, बल्कि यह है कि जिस प्रकार को बाहर रखने का अनुरोध किया गया है, क्या वह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की समान वस्तु है। इसका आकलन भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत, वितरण एवं विपणन, टैरिफ वर्गीकरण तथा विशेष रूप से तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता के आधार पर किया जाता है। उत्पाद दायरे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे केवल आकार, आयाम अथवा स्वरूप में मामूली परिवर्तन करके अन्यथा शामिल उत्पाद उपाय से बच सके।

फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स

13. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स की बिक्री को प्रमाणित करने वाले नमूना चालान, फॉइल-परत वाले डिजाइनों को दर्शाने वाला उत्पाद कैटलॉग तथा ऐसे उत्पादन में प्रयुक्त फॉइल कच्चे माल के आयात को प्रमाणित करने वाले चालान अभिलेख पर रखे हैं। प्रतिवादी पक्षकार, जो उत्पाद के आयातक और व्यापारी हैं तथा जिन्हें अपने खरीद और आयात अभिलेखों तक पहुँच है, फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स की ऐसी भौतिक, रासायनिक अथवा कार्यात्मक विशेषताओं का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जो उन्हें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वॉलपेपर्स से अलग स्थापित करे। उन्होंने विषय देश से अपने स्वयं के फॉइल-लेयर्ड वॉलपेपर्स के आयात की मात्रा का भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
14. फॉइल की परत लगाना उसी पीवीसी-कोटेड अथवा नॉन-वोवन सबस्ट्रेट पर की जाने वाली सतह-सज्जा की प्रक्रिया है। इससे सबस्ट्रेट की संरचना, प्रिंटिंग, कोटिंग, एम्बॉसिंग अथवा लैमिनेटिंग प्रक्रिया तथा सजावटी दीवार आवरण के रूप में उत्पाद का अंतिम उपयोग नहीं बदलता। अतः प्राधिकारी पाता है कि फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वॉलपेपर्स से निकटता से मिलती-जुलती विशेषताएँ हैं और वे तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से उनके प्रतिस्थापन योग्य हैं। अतः अपवर्जन का अनुरोध स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स (70 सेमी और 106 सेमी)

15. प्राधिकारी नोट करता है कि चौड़ाई केवल एक आयामी विनिर्देश है। अपवर्जन की माँग करने वाले पक्षकारों ने अधिक चौड़ाई और मानक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स के बीच कच्चे माल अथवा संरचना, प्रिंटिंग, कोटिंग, लैमिनेटिंग या फिनिशिंग प्रक्रिया, चौड़ाई को छोड़कर अन्य भौतिक

अथवा तकनीकी विशेषताओं, प्रमुख कार्य अथवा अंतिम उपयोग, वितरण चैनल, ग्राहक आधार अथवा टैरिफ वर्गीकरण के संबंध में कोई अंतर स्थापित नहीं किया है।

16. स्लिटिंग से संबंधित दोनों पक्षों के तर्कों को नोट किया गया है। प्राधिकारी का विचार है कि यह बिंदु समान वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्णायक नहीं है। चाहे अधिक चौड़ाई वाले रोल को वास्तव में काटा जाए या नहीं, उत्पाद का कार्य समान रहता है, उसे समान सतहों पर समान विधि से लगाया जाता है और समान वितरण चैनलों के माध्यम से समान ग्राहकों को बेचा जाता है। अधिक चौड़ाई वाले रोल के उपयोग से स्थापना के दौरान जोड़ों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन यह केवल सुविधा का विषय है और इससे वह एक अलग उत्पाद नहीं बन जाता। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि रोल की चौड़ाई के आधार पर अपवर्जन निर्धारित करने से शुल्क से बचने का स्पष्ट अवसर पैदा होगा, क्योंकि उत्पादक चौड़ाई में मामूली परिवर्तन करके उपाय से बच सकता है।
17. वैकल्पिक अंतिम-उपयोग शर्त के संबंध में, प्राधिकरण यह नोट करता है कि लो एश मेटलर्जिकल कोक से संबंधित जांच में अंतिम-उपयोग शर्त परिस्थितियों में निर्धारित की गई थी, जबकि वर्तमान जांच में, किसी भी वॉलपेपर अंतिम-उपयोगकर्ता ने भाग नहीं लिया है। वर्तमान जांच में वॉलपेपर के किसी अंतिम उपयोगकर्ता ने भाग नहीं लिया है। भाग लेने वाले पक्षकार विषय देश के उत्पादक/निर्यातक, एक आयातक तथा आयातकों और उपयोगकर्ताओं की एक एसोसिएशन हैं। संबद्ध वस्तु का आयात व्यापारियों द्वारा डीलरों और खुदरा विक्रेताओं को पुनर्विक्रय के लिए किया जाता है तथा उत्पाद का अंतिम उपभोक्ता उस परिसर का उपयोगकर्ता है जहाँ वॉलपेपर लगाया जाता है। इन परिस्थितियों में अंतिम उपयोग आधारित शर्त का प्रभावी प्रशासन संभव नहीं होगा।
18. प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि प्रतिवादी पक्षकार, जो ऐसे आँकड़े उपलब्ध कराने की सबसे अच्छी स्थिति में हैं, विषय देश से 70 सेमी अथवा 106 सेमी वॉलपेपर्स के अपने आयात की मात्रा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। प्राधिकारी की स्थापित प्रथा है कि जहाँ अपवर्जन की माँग करने वाला पक्षकार यह प्रदर्शित करने में असमर्थ हो कि जिस उत्पाद के अपवर्जन की माँग की गई है उसका विषय देश से वास्तव में आयात हो रहा है, वहाँ ऐसे अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 70 सेमी और 106 सेमी चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स को बाहर रखने तथा वैकल्पिक रूप से अंतिम उपयोग आधारित शर्त लगाने के अनुरोध को स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

250 GSM से अधिक के वॉलपेपर्स

19. प्राधिकारी नोट करता है कि GSM बेस पेपर अथवा सब्सट्रेट के ग्रामेज को दर्शाता है। घरेलू उद्योग ने शपथ-पत्र पर कहा है कि वह 150 से 300 GSM के बीच वॉलपेपर्स का उत्पादन करता है और उसने 300 GSM वॉलपेपर बनाने के लिए आवश्यक ग्रामेज वाले बेस पेपर की खरीद के चालान तथा ऐसे उत्पादन की पुष्टि करने वाली तस्वीरें अभिलेख पर रखी हैं।

प्रतिवादी पक्षकारों की आपत्ति यह है कि केवल कच्चे माल की खरीद से तैयार उत्पाद की बिक्री स्थापित नहीं होती।

20. प्राधिकारी का विचार है कि यदि इस आपत्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी इससे अपवर्जन का मामला स्थापित नहीं होता। प्रश्न यह नहीं है कि घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि में किसी विशेष GSM वाले उत्पाद की बिक्री की या नहीं, बल्कि यह है कि क्या 250 GSM से अधिक वाला वॉलपेपर 250 GSM से कम वाले वॉलपेपर की समान वस्तु है। इस संबंध में अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो दर्शाता हो कि ग्रामेज का अंतर उत्पाद की संरचना, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य अथवा अंतिम उपयोग या स्थापना की विधि में कोई अंतर उत्पन्न करता है। अधिक भारी सब्सट्रेट को उसी उत्पादन लाइन पर, समान इंक तथा कोटिंग का उपयोग करके संसाधित किया जाता है और उससे वही सजावटी दीवार आवरण तैयार होता है। इसके अतिरिक्त, सब्सट्रेट के भार, डिजाइन अथवा फिनिश के कारण एक ही उत्पाद श्रेणी के भीतर लागत अथवा कीमत में अंतर अपने आप में अपवर्जन का आधार नहीं है। अतः यह अनुरोध स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

स्क्रीन-प्रिंट वॉलपेपर्स

21. प्राधिकारी नोट करता है कि स्क्रीन प्रिंटिंग और रोटोग्रैवियर प्रिंटिंग एक ही सब्सट्रेट पर इंक स्थानांतरित करने की वैकल्पिक विधियाँ हैं। घरेलू उद्योग ने अभिलेख पर ऐसी तस्वीरें प्रस्तुत की हैं जो दर्शाती हैं कि उसकी सुविधा में एक ही सतत उत्पादन लाइन पर रोटोग्रैवियर तथा स्क्रीन-प्रिंटिंग दोनों स्टेशन स्थापित हैं। दोनों ही मामलों में अंतिम उत्पाद एक प्रिंटेड पीवीसी अथवा नॉन-वोवन वॉलपेपर है, जिसका उपयोग आंतरिक दीवार सजावट के लिए किया जाता है।
22. प्रतिवादी पक्षकारों ने ऐसा कोई आयात चालान अथवा बिल ऑफ एंट्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें प्रयुक्त प्रिंटिंग तकनीक की पहचान की गई हो। प्राधिकारी द्वारा लेन-देन-वार आयात आँकड़ों की जाँच से भी यह पुष्टि होती है कि वस्तु विवरणों में प्रयुक्त प्रिंटिंग तकनीक का उल्लेख नहीं है। ऐसा भेद, जिसकी आयात के समय पहचान ही संभव नहीं है,

व्यावहारिक अपवर्जन का आधार नहीं बन सकता। अलग प्रीमियम बाजार खंड का दावा कीमतों के अंतर पर आधारित है, जो जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक ही उत्पाद श्रेणी के भीतर डिजाइन की जटिलता, फिनिश और ब्रांड पोजिशनिंग के कारण उत्पन्न होता है। अतः अपवर्जन का अनुरोध स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

पीसीएन पद्धति

23. प्राधिकारी नोट करता है कि वर्तमान जाँच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति उत्पाद को सब्सट्रेट के आधार पर अलग करती है, अर्थात् पीवीसी और नॉन-वोवन। यही वह विशेषता है जो मुख्य रूप से उत्पाद की संरचना, लागत तथा वाणिज्यिक पहचान को निर्धारित करती है। विनाइल कोटिंग के प्रकार तथा बेस पेपर के GSM पर आधारित अतिरिक्त पीसीएन मानदंडों के प्रस्ताव के साथ न तो संबंधित मानदंड की कोई परिभाषा दी गई, न कोई प्रस्तावित सीमा अथवा कोड संरचना और न ही भार के आधार पर लागत अथवा कीमत में किसी परिणामी अंतर का कोई साक्ष्य दिया गया, जबकि वर्तमान जाँच में भार को माप की इकाई के रूप में अपनाया गया है। ऐसे विवरणों के अभाव में इन प्रस्तावों को किसी व्यावहारिक पीसीएन संरचना में लागू करना संभव नहीं था।
24. किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने दोनों पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य, क्षति-रहित कीमत, निवल निर्यात कीमत तथा उतराई मूल्य अलग-अलग निर्धारित किए हैं और प्रत्येक सहयोगी उत्पादक के लिए तुलना पीसीएन-से-पीसीएन आधार पर की है, जैसा कि नीचे खंड जी और जे में दिया गया है। अतः समान-से-समान तुलना की चिंता का समाधान अभिलेख पर उपलब्ध सूचना की सीमा तक किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु पर निष्कर्ष

25. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा विषय देश से आयातित वस्तुओं के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा विषय देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(d) के अर्थ में विषय देश से आयातित उत्पाद की समान वस्तु मानने का प्रस्ताव है। प्राधिकारी जाँच प्रारंभ अधिसूचना में अधिसूचित तथा दिनांक 19 नवम्बर 2025 की अधिसूचना द्वारा पुष्टि

किए गए विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति को यथावत रखने का प्रस्ताव करता है।

घ घरेलू उद्योग का दायरा एवं पात्रता

घ.1 अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

26. अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा आवेदक की घरेलू उद्योग के रूप में पात्रता अथवा वर्तमान आवेदन दाखिल करने की उसकी पात्रता को चुनौती देते हुए कोई प्रस्तुति नहीं की गई है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

27. आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(b) के अर्थ में घरेलू उद्योग है तथा नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की आवश्यकता को पूरा करता है, क्योंकि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक न तो विषय देश से विचाराधीन उत्पाद का आयातक है और न ही विषय देश के किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित है। चूँकि किसी इच्छुक पक्षकार ने उसकी पात्रता का विरोध नहीं किया है, घरेलू उद्योग ने इस विषय को आगे प्रमाणित करना आवश्यक नहीं समझा है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

28. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ से समान वस्तु के विनिर्माण तथा उससे संबंधित किसी गतिविधि में संलग्न समस्त घरेलू उत्पादक अथवा ऐसे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख भाग हो; तथापि, जहाँ ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों या स्वयं ऐसी वस्तु के आयातक हों, वहाँ ‘घरेलू उद्योग’ शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।”

29. प्राधिकारी नोट करता है कि वर्तमान जाँच प्रारंभ करने के लिए आवेदन एक्सिमस वॉलपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया था। आवेदक ने जनवरी 2022 में तालोजा स्थित अपनी विनिर्माण सुविधा में संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया और वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। किसी भी इच्छुक पक्षकार द्वारा समान वस्तु के किसी अन्य घरेलू उत्पादक की पहचान नहीं की गई है और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य किसी अन्य घरेलू आपूर्ति स्रोत के अस्तित्व को प्रदर्शित नहीं करते।

30. प्राधिकारी ने आवेदक के अभिलेखों की जाँच की है और पाया है कि उसने क्षति अवधि अथवा जाँच अवधि के दौरान विषय देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है तथा वह विषय देश से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।
31. अतः आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का 100% है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए पात्र मानने तथा आवेदन को नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मानने का प्रस्ताव है।

ड गोपनीयता

ड.1 अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

32. गोपनीयता के संबंध में अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:
 - i. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना सं. 10/2018 का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और महत्वपूर्ण सूचनाओं का सार्थक अगोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराया है। विनिर्माण प्रक्रिया, प्रमुख कच्चे माल के नाम, सामान्य मूल्य की गणना और उसकी रेंज तथा क्षति-रहित कीमत की रेंज सहित कई महत्वपूर्ण सूचनाएँ या तो पूरी तरह हटा दी गई हैं अथवा पर्याप्त सारांश के बिना प्रकट की गई हैं, जिससे इच्छुक पक्षकार अपने प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रभावी रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे प्रत्येक उदाहरण की पहचान करते हुए विस्तृत पत्र 14 नवम्बर 2025 को दाखिल किया गया था।
 - ii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 को देखते हुए ऐसी सूचना, जिसके संबंध में उचित अगोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराया गया है, पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसे विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, 2016 (340) ड.ल.ट. 449 (SC) के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें नियम 7 की व्याख्या करते हुए कहा गया कि संवेदनशील सूचना को संरक्षित किया जा सकता है, किंतु उचित अगोपनीय सारांश के अभाव में नामित प्राधिकारी गोपनीय सूचना पर भरोसा नहीं कर सकता। जब तक उचित अगोपनीय सारांश तथा सूचकांकित सूचना अथवा पर्याप्त औचित्य उपलब्ध नहीं कराया जाता, प्राधिकारी को जाँच आगे नहीं बढ़ानी चाहिए।

- iii. सार्थक भागीदारी के लिए लेन-देन-वार आयात आँकड़ों तक उपयोग योग्य प्रारूप में पहुँच आवश्यक है। अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि आयात आँकड़े उसी प्रारूप और तरीके में उपलब्ध कराए जाएँ जिसमें उन्हें जाँच के उद्देश्य से अभिलेख पर लिया गया है।
- iv. घरेलू उद्योग ने संपूर्ण लागत प्रारूपों, वार्षिक रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों पर गोपनीयता का दावा किया है, जबकि ऐसे दस्तावेजों पर समग्र रूप से गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

33. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- i. किसी प्रकार की अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया गया है। नियम 7 के अंतर्गत केवल वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील तथा व्यवसाय-स्वामित्व वाली सूचना को ही गोपनीय बताया गया है और जहाँ आवश्यक है, उसका उचित अगोपनीय सारांश अथवा उसके सार का विवरण उपलब्ध कराया गया है।
- ii. विनिर्माण प्रक्रिया वास्तव में याचिका के अगोपनीय संस्करण के खंड-1 के पैरा 1 और 2 में प्रकट की गई है और कच्चे माल, अर्थात् पीवीसी-आधारित बेस पेपर, नॉन-वोवन बेस पेपर तथा प्रिंटिंग इंक की पहचान भी वहाँ की गई है। यह आपत्ति कि विनिर्माण प्रक्रिया और कच्चे माल का प्रकटीकरण नहीं किया गया, तथ्यात्मक रूप से गलत है। आपूर्तिकर्ताओं के नाम, खरीद मात्रा तथा खरीद कीमत जैसी सूचना अपनी प्रकृति से गोपनीय है और उसका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता।
- iii. उत्पादन संबंधी सूचना याचिका तथा क्षति प्रारूपों में रुझानों के रूप में उपलब्ध कराई गई है और क्षति-रहित कीमत को लिखित प्रस्तुतियों में रेंज के रूप में प्रकट किया गया है। लागत संबंधी सूचना अपनी प्रकृति से गोपनीय है। अनुसंधान एवं विकास व्यय तथा इक्विटी, जिसमें जुटाई गई धनराशि भी शामिल है, से संबंधित सूचना अब क्षति प्रारूप (प्रोफार्मा IV-A) का हिस्सा नहीं है क्योंकि प्राधिकारी द्वारा इसे संशोधित किया जा चुका है। अतः इस संबंध में की गई आपत्ति गलत आधार पर है।
- iv. जहाँ आवश्यक था, सूचना एवं आँकड़े रुझान अथवा रेंज के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं ताकि अन्य इच्छुक पक्षकार अपने तर्क प्रस्तुत कर सकें। यदि प्राधिकारी यह समझता है कि किसी अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता है, तो घरेलू उद्योग कानून और प्रथा के अनुसार ऐसे अनुरोध पर विचार करेगा।

- v. किसी भी स्थिति में, इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाई गई गोपनीयता संबंधी आपत्तियाँ विलंब से दाखिल की गई हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

34. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय संस्करण सभी इच्छुक पक्षकारों को उपलब्ध कराया। सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

“(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) तथा नियम 17 के उप-नियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ अथवा जाँच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा नामित प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना, यदि नामित प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट है, तो उसके द्वारा गोपनीय मानी जाएगी और ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) नामित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में उसका सारांश तैयार करना संभव नहीं है, तो वह नामित प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि नामित प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना उपलब्ध कराने वाला पक्षकार न तो सूचना को सार्वजनिक करने और न ही उसके सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण की अनुमति देने को तैयार है, तो नामित प्राधिकारी ऐसी सूचना की अपेक्षा कर सकता है।”

35. सभी इच्छुक पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई। संतुष्ट होने पर जहाँ उचित था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना तथा अन्य इच्छुक पक्षकारों को उसका प्रकटीकरण नहीं किया। जहाँ संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना

उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को पर्याप्त अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

36. प्राधिकारी नोट करता है कि आवेदक तथा भाग लेने वाले उत्पादकों और निर्यातकों, दोनों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, भंडार, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल, क्षति-रहित कीमत, उत्पादन लागत, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, मूल्य समायोजन, बिक्री चैनल, बिक्री एवं खरीद दस्तावेज तथा ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम जैसी सूचनाओं पर गोपनीयता का दावा किया है। ऐसी सूचना अपनी प्रकृति से व्यवसाय-स्वामित्व वाली है और उसका प्रकटीकरण किसी प्रतिस्पर्धी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दे सकता है अथवा सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जहाँ सूचना क्षति अवधि से संबंधित है, उसे सूचकांकित आधार पर अथवा रेंज के रूप में उपलब्ध कराया गया है।
37. विशिष्ट आपतियों के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि विनिर्माण प्रक्रिया तथा प्रमुख कच्चे माल की पहचान आवेदन के अगोपनीय संस्करण में प्रकट की गई है; उत्पादन, बिक्री, क्षमता तथा लाभप्रदता के रुझान सूचकांकित रूप में उपलब्ध कराए गए हैं; और क्षति-रहित कीमत रेंज के रूप में प्रकट की गई है। प्रोफार्मा IV-A पर आधारित आपति उचित नहीं है क्योंकि इस प्रारूप को बाद में संशोधित किया जा चुका है। प्राधिकारी ने केवल ऐसी सूचना के आधार पर कार्यवाही की है जिसके संबंध में पर्याप्त अगोपनीय सारांश अभिलेख पर उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान प्रकटीकरण विवरण में कोई भी निर्धारण ऐसी सूचना पर आधारित नहीं है जिसके लिए अगोपनीय सारांश माँगा गया था किंतु उपलब्ध नहीं कराया गया।
38. जहाँ तक लेन-देन-वार आयात आँकड़े उपलब्ध कराने के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करता है कि ये आँकड़े डीजी सिस्टम्स से प्राप्त किए गए हैं और सरकार के अन्य अंग से प्राप्त सूचना हैं, जिन्हें अनुमेय तरीके और सीमा तक ही उपलब्ध कराया जा सकता है।
प्राधिकारी ने वर्तमान प्रकटीकरण विवरण के माध्यम से क्षति अवधि और जाँच अवधि के लिए आयात की मात्रा, मूल्य तथा उतराई कीमत का प्रकटीकरण किया है, जिससे इच्छुक पक्षकार भरोसा किए गए आयात आँकड़ों पर सार्थक टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।
39. मेघमणि ऑर्गेनिक्स (उपर्युक्त) पर किए गए भरोसे के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि उक्त निर्णय का अनुपात यह है कि गोपनीयता के दावे की जाँच की जानी चाहिए और उस संबंध में कारणयुक्त संतुष्टि दर्ज की जानी चाहिए। जिस सूचना के संबंध में अगोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराया गया हो और जिसका सारांश न देने के कारण भी स्वीकार न किए गए

हों, ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है। वर्तमान जाँच में यह प्रक्रिया ऊपर दर्ज अनुसार अपनाई गई है। यह प्रस्तुति कि ऐसे प्रकटीकरण तक जाँच को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, नियम 7 से समर्थित नहीं है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाता।

च विविध मुद्दे

च.1 अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

40. घरेलू उद्योग ने अपनी अगोपनीय याचिका के पैरा 95 में प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी करने तथा अनंतिम शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर यह अनुरोध निराधार है, क्योंकि घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा है, उसे कोई नकद हानि नहीं हो रही है, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल सकारात्मक है तथा अपने कथित प्रारंभिक चरण में होने के बावजूद घरेलू उद्योग ने बाजार की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है।
41. याचिका में आंतरिक असंगति है। पैरा 66 में घरेलू उद्योग ने कहा है कि भारतीय उत्पादन आधार वर्ष में 100 के सूचकांक स्तर से बढ़कर जाँच अवधि में 426 हो गया, जबकि पैरा 74 में यह दर्शाया गया है कि इसी अवधि में पीयूसी का उत्पादन केवल 100 से बढ़कर 106 हुआ। चूँकि आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है, याचिका के विभिन्न स्थानों पर दिए गए उत्पादन आँकड़े परस्पर सुसंगत होने चाहिए। यह स्पष्ट विसंगति प्रस्तुत सूचना की शुद्धता के संबंध में संदेह उत्पन्न करती है। अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वह भरोसा किए गए उत्पादन आँकड़ों का सत्यापन करे।
42. याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई आयात पृथक्करण पद्धति में भी सीमाएँ हैं। याचिका के अनुबंध 1.5 के चरण 6 में दर्ज अनुसार, कुछ लेन-देन को पीयूसी अथवा Nपीयूसी के रूप में पहचाना नहीं जा सका। ऐसे लेन-देन कुल लेन-देन की संख्या का 13.58% तथा सभी आयात लेन-देन के कुल सीआईएफ मूल्य का 21.04% हैं। अतः मात्रा तथा मूल्य क्षति के दावों के आधारभूत आँकड़ों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवर्गीकृत बना हुआ है, जिससे भरोसा किए गए आयात आँकड़ों की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

43. कार्यवाही के वर्तमान चरण में अनंतिम शुल्क से संबंधित अनुरोध प्रासंगिक नहीं है। नियमावली के नियम 13 में प्रावधान है कि जाँच प्रारंभ करने की सार्वजनिक सूचना की तारीख से 60 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले कोई अनंतिम शुल्क नहीं लगाया जा सकता। वर्तमान मामले में जाँच प्रारंभ करने की तारीख 27 सितम्बर 2025 है। ऐसा शुल्क छह माह से अधिक

की अवधि के लिए प्रभावी नहीं रह सकता, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नौ माह तक बढ़ाया जा सकता है। ये अवधियाँ अब समाप्त हो चुकी हैं और जाँच मौखिक सुनवाई तथा सुनवाई-पश्चात प्रस्तुतियों के चरण तक पहुँच चुकी है।

44. उत्पादन के सूचकांकित आँकड़ों में अंतर का कारण यह है कि पैरा 66 में रुझान की गणना आधार वर्ष के उत्पादन को वार्षिकीकृत किए बिना की गई है, क्योंकि आधार वर्ष में केवल तीन माह का परिचालन शामिल था। इसके विपरीत, पैरा 74 में रुझान की गणना आधार वर्ष के उत्पादन को वार्षिकीकृत करने के बाद की गई है। अतः मूल आँकड़ों में कोई असंगति नहीं है। यह मुद्दा प्रतिवादी पक्षकारों की लिखित प्रस्तुतियों में पहली बार उठाया गया था और उसी के अनुसार यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है।
45. इच्छुक पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की आलोचना की है, किंतु उन्होंने स्वयं कोई वैकल्पिक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, चाहे वह उन ग्रेडों के आयात से संबंधित हो जिनके अपवर्जन की माँग की गई है अथवा किसी अन्य विषय से संबंधित हो।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

46. अनंतिम उपायों के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि वर्तमान जाँच में किसी अनंतिम शुल्क की सिफारिश नहीं की गई है और नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा किसी भी स्थिति में समाप्त हो चुकी है। अतः इस मुद्दे पर इच्छुक पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ निष्प्रभावी हो चुकी हैं और प्राधिकारी सीधे अंतिम निर्धारण के चरण की ओर अग्रसर होता है।
47. उत्पादन के सूचकांकित आँकड़ों में कथित विसंगति के संबंध में प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को नोट करता है कि आधार वर्ष 2021-22 में केवल तीन माह का परिचालन शामिल था, क्योंकि वाणिज्यिक उत्पादन जनवरी 2022 में प्रारंभ हुआ था। सूचकांकों का एक समूह वास्तव में रिपोर्ट किए गए आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया था, जबकि दूसरा आधार वर्ष को वार्षिकीकृत करने के बाद तैयार किया गया था। प्राधिकारी ने मूल आँकड़ों से इसका सत्यापन किया है और स्पष्टीकरण को सही पाया है। किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए प्राधिकारी ने वर्तमान प्रकटीकरण विवरण में प्रत्येक अवधि के लिए वास्तविक रिपोर्ट किए गए आँकड़े बिना वार्षिकीकरण के प्रस्तुत किए हैं तथा जहाँ भी आधार वर्ष से कोई रुझान निकाला गया है, वहाँ आधार वर्ष की सीमित अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया है।
48. आयात आँकड़ों की सीमाओं के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि उसने न तो जाँच प्रारंभ करने के चरण में और न ही अपने निर्धारण में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आँकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेन-देन-वार आँकड़ों पर भरोसा किया है, जिनकी उसने स्वतंत्र रूप से जाँच और वर्गीकरण किया है। अतः

याचिकाकर्ता द्वारा तैयार किए गए आँकड़ों में अवर्गीकृत लेन-देन की मात्रा वर्तमान प्रकटीकरण विवरण में किए गए निर्धारणों के लिए प्रासंगिक नहीं है। डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों पर प्राधिकारी द्वारा किया गया वर्गीकरण तथा उससे प्राप्त आयात मात्रा, इनका खुलासा अंतिम निष्कर्षों के संबंधित अनुच्छेदों में किया गया है।

छ सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

49. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा आयातित इनपुट के कारण समायोजन

- i. घरेलू उद्योग ने स्वयं पुष्टि की है कि वॉलपेपर्स के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी प्रमुख कच्चे माल, इंक तथा सिलेंडर चीन जनवादी गणराज्य से आयात किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में मालभाड़ा, पैकेजिंग, हैंडलिंग तथा परिवहन से संबंधित अतिरिक्त लागत अनिवार्य रूप से वहन करनी पड़ती है और आयातित सामग्री की गुणवत्ता संबंधी अस्वीकृति से भी अतिरिक्त लागत हो सकती है। यदि घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत की तुलना चीनी उत्पादकों की लागत से करना चाहता है, तो उसकी लागत स्वाभाविक रूप से अधिक होगी, क्योंकि चीनी उत्पादकों को कच्चे माल के स्रोतों की निकटता तथा सामग्री की उपलब्धता का महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त है। अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि उत्पादन लागत निर्धारित करते समय तथा चीन जनवादी गणराज्य से आयात की तुलना में घरेलू उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करते समय इन कारकों को ध्यान में रखा जाए।

आयातकों द्वारा वहन किए गए डिजाइन, कैटलॉग तथा बाजार-विकास व्यय के लिए समायोजन

- ii. भारत में वॉलपेपर व्यापार को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। श्रेणी-A में घरेलू स्तर पर डिजाइन तथा कैटलॉग तैयार किए गए उत्पाद शामिल हैं, जबकि श्रेणी-B में सामान्य डिजाइन वाले तैयार वॉलपेपर्स शामिल हैं। श्रेणी-A में कंपनियाँ डिजाइन तैयार करने अथवा स्वतंत्र डिजाइन स्टूडियो से डिजाइन खरीदने पर पर्याप्त राशि खर्च करती हैं। इसके बाद इन-हाउस डिजाइन टीम इन डिजाइनों को प्रिंटिंग सिलेंडरों के लिए तकनीकी आउटपुट में बदलती हैं, जिसे विनिर्माताओं को वॉलपेपर

उत्पादन के लिए दिया जाता है। इस प्रक्रिया में आयातक उत्पाद डिजाइन, कैटलॉग तैयार करने, विपणन सामग्री, ग्राहकों तक पहुँच तथा भारत में वॉलपेपर्स के विपणन और बिक्री के लिए आवश्यक अन्य गतिविधियों पर महत्वपूर्ण व्यय करते हैं। अतः वॉलपेपर्स को केवल आयात करके पुनः बेचा नहीं जाता, बल्कि अंतिम ग्राहक तक पहुँचने से पहले आयातकों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन किया जाता है।

- iii. तदनुसार, लागत की तुलना तथा घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों का आकलन करते समय ऐसे व्ययों की प्रकृति पर उचित विचार किया जाना चाहिए। चूँकि डिजाइन तैयार करने, कैटलॉग निर्माण तथा बाजार विकास की लागत स्वयं आयातक वहन करते हैं, इसलिए आयात कीमत की घरेलू उद्योग की लागत से सीधी तुलना उचित नहीं होगी। प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अपनी क्षति-रहित कीमत की गणना में दावा किए गए समान व्ययों को अस्वीकार करना चाहिए अथवा वैकल्पिक रूप से भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए उतराई कीमत तथा निर्यात कीमत निर्धारित करते समय ऐसे व्ययों के लिए आवश्यक समायोजन करना चाहिए। ऐसे व्ययों की जानकारी आयातक प्रश्नावली उत्तर से ली जा सकती है।

निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों पर घरेलू उद्योग की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर

- iv. जियांगशी कासावॉल के संबंध में यह आरोप कि केवल भारत को उसके निर्यात की मात्रा बढ़ने के कारण वह पाटन कर रहा है, उचित नहीं है। जियांगशी कासावॉल ने जनवरी 2022 में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किए जाने से पहले ही भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात शुरू कर दिया था। अतः निर्यात में वृद्धि को घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की किसी रणनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। इसके विपरीत, यह भारत में उसकी निरंतर वाणिज्यिक उपस्थिति और व्यवसाय विस्तार को दर्शाता है, जो घरेलू उद्योग के उत्पादन प्रारंभ होने से पहले से मौजूद था। घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए आँकड़े स्वयं दर्शाते हैं कि भारत को निर्यात से प्रति इकाई बिक्री प्राप्ति पूरी क्षति अवधि में व्यापक रूप से स्थिर रही और आधार वर्ष के 100 सूचकांक से जाँच अवधि में केवल 97 तक घटी। इसी अवधि में अन्य देशों को निर्यात भी बढ़ा, जिससे यह दर्शाता है कि यह वृद्धि समग्र व्यवसाय विस्तार का हिस्सा थी और विशेष रूप से भारतीय बाजार को लक्षित नहीं थी।
- v. जियांगशी झुओया के संबंध में भी केवल भारत को निर्यात में वृद्धि से पाटन का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, क्योंकि उसने भी जनवरी 2022 से काफी पहले

भारत को निर्यात प्रारंभ कर दिया था। भारत को निर्यात की बिक्री प्राप्ति व्यापक रूप से स्थिर रही और आधार वर्ष के 100 सूचकांक से बढ़कर जाँच अवधि में 105 हो गई। विभिन्न बाजारों के बीच निर्यात कीमतों की तुलना भ्रामक है, क्योंकि कीमतें उत्पाद विनिर्देश, ग्राहक की आवश्यकताओं, ऑर्डर की मात्रा, वाणिज्यिक शर्तों तथा प्रत्येक देश में प्रचलित बाजार परिस्थितियों के अनुसार बदलती हैं। vi. आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में जियांगशी कासावॉल की भारत को निर्यात कीमत केवल 3 सूचकांक अंक घटी, जबकि इसी अवधि में जियांगशी झुओया की निर्यात कीमत 5 सूचकांक अंक बढ़ी। अतः क्षति अवधि के दौरान भाग लेने वाले उत्पादकों और निर्यातकों की निर्यात कीमतों में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं हुई है और घरेलू उद्योग का निर्यात कीमतों में लगातार गिरावट का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

50. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं।

चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानना तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण

- i. चीन के विश्व व्यापार संगठन परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(a)(i) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के अनुसार किया जाना चाहिए। परिग्रहण के 15 वर्ष बाद उप-पैरा (a)(ii) की अवधि समाप्त होने का यह अर्थ नहीं है कि चीन जनवादी गणराज्य को स्वतः बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा मिल जाएगा। अनुच्छेद 15(d) के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य को आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह स्थापित करना होगा कि वह बाजार अर्थव्यवस्था है और यह दायित्व अब तक पूरा नहीं किया गया है। अतः चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानने की वैध धारणा बनी हुई है।
- ii. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) में यह धारणा दी गई है कि यदि जाँच से पूर्व तीन वर्षों की अवधि में किसी देश को प्राधिकारी अथवा किसी अन्य विश्व व्यापार संगठन सदस्य की जाँच प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जाँच के उद्देश्य से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है, तो उसे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाएगा। इस अवधि

- के दौरान भारतीय प्राधिकारी तथा अन्य अधिकार क्षेत्रों की जाँच प्राधिकारियों द्वारा चीन जनवादी गणराज्य को लगातार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है।
- iii. चूँकि चीनी उत्पादक स्वतः बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के पात्र नहीं हैं, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत संबंधी सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न होने के कारण वह सफल नहीं हो सका। किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत भी नहीं अपनाई जा सकती, क्योंकि उन्हीं टैरिफ मदों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रकार के वॉलपेपर्स भी आयात किए जाते हैं जो विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं। अतः उन टैरिफ मदों की औसत कीमत सटीक नहीं होगी। इसलिए प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि सामान्य मूल्य का निर्माण पैरा 7 में उपलब्ध अवशिष्ट आधार पर किया जाए, अर्थात् घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमान में युक्तिसंगत लाभ मार्जिन जोड़कर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाए।

आयातित इनपुट के कारण माँगे गए समायोजन पर प्रत्युत्तर

- iv. यह तर्क कि घरेलू उद्योग चीन जनवादी गणराज्य से आयातित बेस पेपर अथवा सिलेंडरों का उपयोग करता है, प्रासंगिक नहीं है। स्थापित विधिक सिद्धांत के अनुसार घरेलू उद्योग को उसी वास्तविक स्थिति में देखा जाना चाहिए जिसमें वह कार्य कर रहा है, न कि किसी आदर्श स्थिति में। वर्तमान जाँच भारत में आयातित तैयार उत्पाद से संबंधित है, कच्चे माल से नहीं। घरेलू उद्योग को उपलब्ध सर्वोत्तम वाणिज्यिक दरों पर घरेलू अथवा आयातित स्रोतों से कच्चा माल प्राप्त करने का अधिकार है। लेखांकन सिद्धांत के अनुसार, कच्चे माल को भारत में विनिर्माण हेतु उसकी वर्तमान स्थिति और स्थान तक लाने के लिए की गई कोई भी लागत कच्चे माल की लागत का हिस्सा होती है। इसके विपरीत तर्क लेखांकन के मूल सिद्धांतों तथा सामान्य मूल्य और क्षति-रहित कीमत के निर्माण के सिद्धांतों के विपरीत है। प्रतिवादी पक्षकार घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में माँगे गए समायोजन का कोई विधिक आधार स्पष्ट नहीं कर सके हैं।

निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों पर टिप्पणियाँ

- v. जियांग्शी कासावॉल की घरेलू बिक्री पूरी क्षति अवधि में शून्य रही, जबकि भारत को उसकी निर्यात बिक्री लगातार बढ़ी और आधार वर्ष के 100 सूचकांक से बढ़कर जाँच अवधि में 42,074 हो गई। इसी अवधि में भारत को निर्यात की प्रति इकाई बिक्री प्राप्ति लगातार घटी है।
- vi. जियांग्शी झुओया की भारत को निर्यात बिक्री जाँच अवधि में आधार वर्ष की तुलना में नौ गुना से अधिक बढ़ी, जबकि इसी अवधि में अन्य देशों को उसकी निर्यात बिक्री लगभग 50% घट गई। भारत को निर्यात की प्रति इकाई बिक्री प्राप्ति चार वर्षों में केवल 5 सूचकांक अंक बढ़ी, जबकि अन्य देशों को निर्यात की बिक्री प्राप्ति में 56 सूचकांक अंक की वृद्धि हुई। जाँच अवधि में उसकी घरेलू बिक्री आधार वर्ष की तुलना में लगभग 50% घटी, जबकि उसकी घरेलू बिक्री प्राप्ति आधार वर्ष के स्तर से ऊपर बनी रही।
- vii. चीन जनवादी गणराज्य से वॉलपेपर्स की उतराई कीमत आधार वर्ष में ₹223 प्रति किलोग्राम से घटकर जाँच अवधि में ₹157 प्रति किलोग्राम हो गई है। तैयार आयातित वॉलपेपर की आयात कीमत अब मूल कच्चे माल की कीमत से भी कम है। जहाँ बेस पेपर (नॉन-वोवन और पीवीसी) की कीमत ₹200 से ₹250 प्रति किलोग्राम के बीच है, वहीं तैयार आयातित वॉलपेपर की उतराई कीमत केवल ₹157 प्रति किलोग्राम है। यह स्थिति तब है जब एक किलोग्राम तैयार वॉलपेपर के लिए लगभग एक किलोग्राम बेस पेपर के अतिरिक्त इंक, पिगमेंट, सिलेंडर, मजदूरी, शॉप-फ्लोर व्यय, विनिर्माण ओवरहेड, वेतन, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा ब्याज लागत भी आवश्यक होती है।
- viii. चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात कीमतों में तीव्र गिरावट के कारणों में पाटन तथा अत्यधिक कम कीमतों पर निर्यात शामिल हैं, जो वहाँ की बहुत बड़ी उत्पादन क्षमताओं तथा संपत्ति क्षेत्र में मंदी के कारण उत्पन्न हुए हैं। संपत्ति क्षेत्र की मंदी से चीन में घरेलू माँग कम हुई है क्योंकि उपभोक्ता अन्य प्रकार की वॉल पैनलिंग की ओर बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट उछाल के दौरान निर्मित अतिरिक्त क्षमता के कारण मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ी, आवासीय परियोजनाओं के पूर्ण होने की गति धीमी पड़ने से डेवलपर्स द्वारा बड़े पैमाने पर खरीद कम हुई तथा शेष कारखानों ने अधिक चौड़ाई वाले हेवी-इयूटी फैब्रिक बैंकिंग, सीमलेस टेक्सटाइल तथा पीवीसी-मुक्त पुनर्चक्रण योग्य सब्सट्रेट की ओर रुख किया। चीनी उत्पादक जो अधिशेष उत्पादन अपने घरेलू बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं, उसे भारत सहित अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है।

- ix. सहयोगी उत्पादकों द्वारा दाखिल प्रश्नावली उत्तरों में पर्याप्त और सटीक सूचना पाए जाने पर उनके आधार पर व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित किए जा सकते हैं। वर्तमान जाँच में पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

51. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों की जाँच की है। निर्धारण प्रत्येक उत्पाद नियंत्रण संख्या, अर्थात् पीवीसी वॉलपेपर तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर, के लिए अलग-अलग किया गया है। इसके बाद प्रत्येक उत्पादक के मार्जिन को संबंधित उत्पाद नियंत्रण संख्या के अंतर्गत उस उत्पादक द्वारा निर्यात की गई मात्रा के आधार पर भारित किया गया है।

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

52. चीन के विश्व व्यापार संगठन परिग्रहण प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

“(क) GATT 1994 के अनुच्छेद VI तथा पाटनरोधी समझौते के अंतर्गत मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करते समय आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य जाँचाधीन उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा अथवा ऐसी पद्धति का उपयोग करेगा जो चीन की घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो, निम्नलिखित नियमों के अनुसार:

(i) यदि जाँचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित कर सकें कि समान उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में उस उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करते समय जाँचाधीन उद्योग की चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा;

(ii) यदि जाँचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित नहीं कर सकें कि समान उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन तथा बिक्री के संबंध में उस उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो आयातक विश्व व्यापार संगठन सदस्य ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन की घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो।”

53. प्राधिकारी नोट करता है कि दोनों सहयोगी उत्पादकों में से किसी ने भी बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है और न ही ऐसे दावे को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सूचना दाखिल की है। जियांगशी कासावॉल ने पूरी क्षति अवधि तथा जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री शून्य बताई है। जियांगशी झुओया ने अपने प्रश्नावली उत्तर में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि उसकी समझ के अनुसार प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानता है और परिणामस्वरूप उसकी घरेलू बिक्री संबंधी सूचना तथा उत्पादन लागत संबंधी सूचना का सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाना है। इन परिस्थितियों में सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार प्रावधान करता है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर किया जाएगा; और जहाँ ऐसा संभव न हो, वहाँ किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा देय कीमत भी शामिल है, आवश्यक समायोजन करते हुए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ युक्तिसंगत लाभ मार्जिन जोड़कर, सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाएगा। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन नामित प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास स्तर और संबंधित उत्पाद को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत तरीके से किया जाएगा तथा चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का उचित ध्यान रखा जाएगा...”

54. वर्तमान मामले में किसी भी इच्छुक पक्षकार द्वारा किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत अथवा निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के लिए छह-अंकीय स्तर पर कोई पृथक समर्पित टैरिफ लाइन उपलब्ध नहीं है और जिन टैरिफ मदों के अंतर्गत संबद्ध वस्तु का आयात होता है, उनमें अन्य प्रकार के दीवार आवरण भी शामिल हैं जो विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं। अतः उन टैरिफ मदों से प्राप्त किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत समान वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। तदनुसार, प्राधिकारी ने अनुबंध-1 के पैरा 7 में उपलब्ध अवशिष्ट आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, अर्थात् भारत में

समान उत्पाद के लिए देय कीमत के आधार पर, जिसे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से निर्मित किया गया है और उसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ मार्जिन के लिए उचित समायोजन किया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

55. निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी उत्पादकों के प्रश्नावली उत्तरों में रिपोर्ट की गई भारत में असंबद्ध ग्राहकों से वसूली गई बिक्री कीमत के आधार पर किया गया है। निर्यातक की एक्स-फैक्ट्री स्तर की कीमत प्राप्त करने के लिए एक्स-फैक्ट्री स्तर से डिलीवरी बिंदु तक किए गए व्ययों के लिए आवश्यक समायोजन किए गए हैं। उतराई मूल्य का निर्धारण भारतीय बंदरगाह पर सीआईएफ मूल्य का निर्माण करके तथा उस पर 10% मूल सीमा शुल्क और मूल सीमा शुल्क के 10% की दर से सामाजिक कल्याण अधिभार जोड़कर किया गया है, जो मिलकर निर्धारणीय मूल्य का 11% बनता है।
56. चूंकि सहयोगी उत्पादकों में से एक की कुछ बिक्री एक्स-वर्क्स तथा फ्री-ऑन-बोर्ड शर्तों पर की गई थी, इसलिए सीआईएफ मूल्य के निर्माण के लिए आवश्यक समुद्री मालभाड़ा उस उत्पादक के कॉस्ट-एंड-फ्रेट शिपमेंट से प्राप्त किया गया, जो यूएस\$*** प्रति किलोग्राम बैठता है। समुद्री बीमा की गणना सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2007 के नियम 10 के अनुसार FOB मूल्य के ***% की दर से की गई है। समुद्री मालभाड़े की यही दर दूसरे सहयोगी उत्पादक के लिए भी अपनाई गई है, जिसकी सभी बिक्री फ्री-ऑन-बोर्ड शर्तों पर हुई थी।

(क) जियांगशी कासावॉल इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड

57. जाँच अवधि के दौरान जियांगशी कासावॉल ने भारत को विचाराधीन उत्पाद की *** मीट्रिक टन मात्रा का निर्यात किया, जिसमें *** मीट्रिक टन पीवीसी वॉलपेपर तथा *** मीट्रिक टन नॉन-वोवन वॉलपेपर शामिल थे। यह निर्यात 75 लेन-देन के माध्यम से भारत के 14 असंबद्ध ग्राहकों को किया गया। निर्यात की गई सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं उत्पादक द्वारा किया गया था और बिक्री श्रृंखला में कोई संबंधित निर्यातक अथवा संबंधित आयातक नहीं था। बिक्री कॉस्ट-एंड-फ्रेट, फ्री-ऑन-बोर्ड तथा एक्स-वर्क्स शर्तों पर की गई थी। निर्यात कीमत तथा निर्यात मात्रा सहित सभी समायोजनों को डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया है।
58. एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निवल निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

निवल निर्यात कीमत, जियांगशी कासावॉल (जाँच अवधि)

पीसीएन	मात्रा (मीट्रिक टन)	निवल चालान मूल्य (यूएस\$)	समायोजन (यूएस\$)	निवल निर्यात कीमत (यूएस\$)	निवल निर्यात कीमत (यूएस\$/मीट्रिक टन)
पीवीसी	***	***	***	***	***
नॉन- वोवन	***	***	***	***	***
कुल	***	***	***	***	***

59. समायोजन में समुद्री मालभाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन तथा पैकिंग व्यय शामिल है।

(ख) जियांगशी झुओया इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड

60. जाँच अवधि के दौरान जियांगशी झुओया ने भारत को विचाराधीन उत्पाद की *** मीट्रिक टन मात्रा का निर्यात किया, जिसमें *** मीट्रिक टन पीवीसी वॉलपेपर तथा *** मीट्रिक टन नॉन-वोवन वॉलपेपर शामिल थे। यह निर्यात 15 लेन-देन के माध्यम से भारत के चार असंबद्ध ग्राहकों को किया गया। निर्यात की गई सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं उत्पादक द्वारा किया गया था तथा सभी बिक्री फ्री-ऑन-बोर्ड शर्तों पर की गई थी। निर्यात कीमत और मात्रा सहित सभी समायोजनों को डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया है।

61. एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निवल निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

निवल निर्यात कीमत, जियांगशी झुओया (जाँच अवधि)

पीसीएन	मात्रा (Kg)	निवल निर्यात कीमत (यूएस\$)	निवल निर्यात कीमत (यूएस\$/मीट्रिक टन)
पीवीसी	***	***	***
नॉन- वोवन	***	***	***
कुल	***	***	***

(ग) असहयोगी उत्पादक एवं निर्यातक

62. ऐसे उत्पादकों और निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने लेन-देन-वार डीजी सिस्टम्स आँकड़ों से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत तथा उतराई मूल्य निर्धारित किया है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन

63. प्रत्येक उत्पाद नियंत्रण संख्या के लिए निर्मित सामान्य मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निवल निर्यात कीमत से करके पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। प्रत्येक सहयोगी उत्पादक के लिए संबंधित पीसीएन के अंतर्गत उस उत्पादक की अपनी निर्यात मात्रा के आधार पर पीसीएन-वार मार्जिन को भारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

उत्पादक	पीसीएन	मात्रा (मीट्रिक टन)	सामान्य मूल्य (यूएस\$/मी ट्रिक टन)	निवल निर्यात कीमत (यूएस\$/मी ट्रिक टन)	पाटन मार्जिन (यूएस\$/मी ट्रिक टन)	पाटन मार्जिन (%)	रेंज %
जियांगशी कासावॉल	NW	***	***	***	***	***	110-120
	पीवीसी	***	***	***	***	***	110-120
	भारित	***	***	***	***	***	110-120
जियांगशी झुओया	NW	***	***	***	***	***	10-20
	पीवीसी	***	***	***	***	***	100-110
	भारित	***	***	***	***	***	60-70
अन्य सभी		***	***	***	***	***	170-180

छ.3.4 इच्छुक पक्षकारों की विशिष्ट प्रस्तुतियों की जाँच

64. आयातित कच्चे माल के लिए समायोजन: प्राधिकरण नोट करता है कि नियमों के अनुसार सामान्य मूल्य और एनआईपी की गणना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का उपयोग करके की गई है। आयातित कच्चे माल की लागत में उन्हें कारखाने तक लाने में होने वाला भाड़ा, हैंडलिंग तथा अन्य व्यय शामिल हैं। केवल इस कारण से कि चीनी उत्पादकों की लागत कम हो सकती है, इन लागतों को कम नहीं किया जा सकता। प्रतिवादियों ने ऐसा कोई विशिष्ट व्यय नहीं बताया है जिसे नियमों के तहत बाहर रखा जाना चाहिए। इसलिए उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

65. **डिजाइन, कैटलॉग और विपणन व्ययों के लिए समायोजन:** प्राधिकरण नोट करता है कि भारत में आयातकों द्वारा आयात के बाद किए गए डिजाइन, कैटलॉग और विपणन व्यय उनकी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित हैं। इन व्ययों को निर्यात मूल्य या लैंडेड मूल्य से घटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार, घरेलू उद्योग के सामान्य डिजाइन, कैटलॉग और विक्रय व्यय वॉलपेपर के निर्माण और विक्रय की उसकी लागत का हिस्सा हैं और इन्हें एनआईपी से बाहर नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित किया है कि परिशिष्ट III के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय को बाहर रखा गया है। इसलिए इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया है।
66. **निर्यात मात्रा और कीमतों में परिवर्तन:** प्राधिकरण नोट करता है कि क्षति अवधि के दौरान निर्यात मात्रा या कीमतों में परिवर्तन, अपने आप में, यह स्थापित नहीं करते कि डंपिंग मौजूद है या नहीं। डंपिंग का निर्धारण जांच अवधि (पीओआई) के दौरान सामान्य मूल्य की तुलना निर्यात मूल्य से करके किया जाता है। प्राधिकरण ने यह तुलना प्रत्येक सहयोगी उत्पादक और प्रत्येक पीसीएन के लिए अलग-अलग की है। उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियों पर विचार किया गया है, लेकिन इससे डंपिंग निर्धारण में कोई परिवर्तन नहीं होता।

ज क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जाँच

ज.1 अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

67. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

वास्तविक क्षति और उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा एक साथ विद्यमान नहीं हो सकती

- i. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9B को पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के साथ पढ़ने पर क्षति के तीन रूपों का प्रावधान है, अर्थात् घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा तथा भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा। उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा या तो ऐसे विकसित हो रहे उद्योग से संबंधित हो सकती है जिसने अभी वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन जिसके संबंध में उत्पादन प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त प्रतिबद्धता की गई हो, अथवा ऐसे नवोदित उद्योग से जो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर चुका है लेकिन अभी बाजार में पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है।

- ii. क्षति के ये दोनों रूप एक साथ विद्यमान नहीं हो सकते। उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा की जाँच ऐसे नवोदित अथवा प्रारंभिक अवस्था के उद्योग से संबंधित होती है जो अभी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ है, जबकि वास्तविक क्षति का आकलन केवल विधिवत स्थापित घरेलू उद्योग के संबंध में किया जाता है। जहाँ घरेलू उद्योग पहले से स्थापित है, वहाँ लागू विश्लेषण वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक क्षति के खतरे तक सीमित रहता है। इसके विपरीत, जहाँ उद्योग अभी स्थापित होने की प्रक्रिया में है, वहाँ वास्तविक क्षति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अतः किसी उद्योग को एक ही समय पर स्थापित तथा गैर-स्थापित, दोनों नहीं माना जा सकता ताकि दोनों प्रकार के दावे समानांतर रूप से किए जा सकें।

“उत्पाद-संवेदनशील” खंड के आयातों को बाहर रखने का अनुरोध

- iii. घरेलू उद्योग ने कहा है कि बाजार में एक मूल्य-संवेदनशील, अधिक-मात्रा वाला खंड तथा एक उत्पाद-संवेदनशील खंड है। उसने प्रस्तुत किया है कि मूल्य-संवेदनशील खंड में उसे आयातों से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जबकि उसकी अधिकांश बिक्री उत्पाद-संवेदनशील खंड में होती है, जहाँ आयात प्रतिस्पर्धा कम है और माँग सीमित है। इस आधार पर इच्छुक पक्षकारों ने ₹600 से ₹900 प्रति किलोग्राम के बीच कीमत वाले उत्पाद-संवेदनशील खंड के आयातों को संबद्ध आयातों से बाहर रखने का अनुरोध किया है।

मात्रा संबंधी क्षति का अभाव

- iv. यद्यपि विषय देश से आयात 2023-24 तक बढ़े, किंतु जाँच अवधि में उनमें गिरावट आई। इसी अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री कई गुना बढ़ी। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में गिरावट को इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि उसी अवधि में संबद्ध वस्तु की माँग में भी गिरावट आई थी। यह दावा कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की उपस्थिति के बावजूद विषय देश से आयात लगातार बढ़ते रहे, तथ्यात्मक रूप से गलत है।
- v. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष के 100 सूचकांक से बढ़कर जाँच अवधि में 709 हो गई, क्योंकि उसकी घरेलू बिक्री में वृद्धि माँग में वृद्धि से अधिक रही। इसके विपरीत, समग्र माँग में विषय देश से आयात की

हिस्सेदारी आधार वर्ष की तुलना में केवल 11 सूचकांक अंक बढ़ी, जबकि अन्य देशों से आयात की हिस्सेदारी 47 सूचकांक अंक घटी। घरेलू उद्योग धीरे-धीरे बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में उसकी बाजार हिस्सेदारी सर्वोच्च स्तर पर है। अतः पूर्ण अथवा सापेक्ष रूप से मात्रा संबंधी कोई क्षति नहीं है।

मूल्य दमन अथवा मूल्य हास का अभाव

- vi. विषय देश से आयातों के कारण कोई मूल्य दमन अथवा मूल्य हास नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत में परिवर्तन के अनुरूप अपनी कीमतों में परिवर्तन करने में सक्षम रहा है। जहाँ 2023-24 में बिक्री लागत 79 सूचकांक से बढ़कर जाँच अवधि में 105 हो गई, वहीं घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत 95 से बढ़ाकर 118 करने में सक्षम रहा। बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि से अधिक रही, जो यह स्थापित करती है कि आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बढ़ाने से नहीं रोका।
- vii. क्षति अवधि तथा जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से हमेशा अधिक रही है, जबकि उसने स्वयं को नवोदित अवस्था में बताया है। इसके अतिरिक्त, जहाँ आयातों की उतराई कीमत 2021-22 में ₹2,23,831 प्रति मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में ₹1,57,409 प्रति मीट्रिक टन हो गई, वहीं घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री कीमतों को क्षति अवधि के सर्वोच्च स्तर तक बढ़ाया। यदि आयात कीमतों ने घरेलू बिक्री कीमत पर दबाव डाला होता, तो घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं होता। अतः घरेलू उद्योग ने अपनी मूल्य निर्धारण क्षमता बनाए रखी है और अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार किया है।

आर्थिक मानदंड क्षति को प्रदर्शित नहीं करते

- viii. घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं प्रस्तुत साक्ष्यों से प्राप्त आर्थिक मानदंडों, जिनमें क्षमता, घरेलू बिक्री, उत्पादकता तथा नियोजित पूंजी शामिल हैं, ने क्षति अवधि में सकारात्मक रुझान दिखाया है, जो क्षति के अभाव को दर्शाता है।
- ix. ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ पूरी क्षति अवधि तथा जाँच अवधि में घरेलू उद्योग के लिए सकारात्मक रहा, जबकि कर-पूर्व लाभ आधार वर्ष तथा जाँच अवधि में नकारात्मक रहा। जाँच अवधि में ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ 142 सूचकांक अंक रहा, जबकि कर-पूर्व लाभ (115) सूचकांक अंक रहा। इससे यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की ब्याज

लागत अत्यधिक अधिक है और यही जाँच अवधि में कर-पूर्व लाभ को नकारात्मक करने का प्रमुख कारण है।

- x. कथित नवोदित अवस्था के बावजूद घरेलू उद्योग का नकद लाभ काफी बढ़ा है और पूरी क्षति अवधि तथा जाँच अवधि में सकारात्मक रहा है। यह आधार वर्ष के 100 सूचकांक से बढ़कर जाँच अवधि में 1,038 सूचकांक अंक हो गया। इसी प्रकार, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल भी पूरी अवधि में सकारात्मक रहा और आधार वर्ष के 100 सूचकांक से बढ़कर जाँच अवधि में 110 सूचकांक अंक हो गया। इन परिणामों वाले उद्योग को आयातों के कारण क्षति होने का दावा निराधार है।
- xi. घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी क्षति अवधि तथा जाँच अवधि में स्थिर रही। चूँकि आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है, इसलिए याचिका में विभिन्न स्थानों पर दिए गए उत्पादन आँकड़े परस्पर सुसंगत होने चाहिए और प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि भरोसा किए गए उत्पादन आँकड़ों का सत्यापन करे। क्षति अवधि के दौरान कई प्रमुख संकेतकों में सुधार हुआ है और इसलिए वे न तो उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा और न ही वास्तविक क्षति के निष्कर्ष का समर्थन करते हैं।

घरेलू उद्योग के वित्तीय विवरण क्षति को प्रदर्शित नहीं करते

- xii. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अभिलेखों पर उपलब्ध घरेलू उद्योग के वित्तीय विवरणों के मूल्यांकन से पता चलता है कि परिचालन से राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 में ₹*** लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹*** लाख हो गया, जो अल्प अवधि में कारोबार में दस गुना से अधिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में कारोबार लगभग ₹*** करोड़ के स्तर पर बना रहा, जो स्थिर ग्राहक आधार तथा निरंतर बाजार माँग को दर्शाता है।
- xiii. घरेलू उद्योग ने समान स्तर की बिक्री बनाए रखते हुए सामग्री उपभोग लागत लगभग 30% कम करके अपनी परिचालन दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार किया है। इससे उत्पादन लागत को अनुकूलित करने तथा लागत प्रबंधन में सुधार करने की उसकी क्षमता प्रदर्शित होती है। अतः किसी कथित क्षति को संबद्ध आयातों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग को बेहतर परिचालन दक्षता तथा कम इनपुट लागत से लाभ हुआ है।

- xiv. यद्यपि घरेलू उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 में निवल हानि दर्ज की, उसका राजस्व लगभग ₹*** करोड़ पर स्थिर रहा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हानि बिक्री अथवा माँग में गिरावट के कारण नहीं हुई। यह हानि मुख्यतः अधिक वितीय लागत, मूल्यहास व्यय तथा कंपनी के विस्तार और वितीय व्यवस्थाओं से उत्पन्न भंडार संबंधी समायोजन के कारण प्रतीत होती है। चूँकि बिक्री स्थिर रही, इसलिए मुख्य व्यवसाय परिचालन की दृष्टि से सुदृढ़ तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बना हुआ है।

गैर-आरोपण: यदि कोई क्षति है तो वह अन्य कारकों के कारण है

- xv. यदि प्राधिकारी कुछ प्रतिकूल प्रदर्शन पाता भी है, तो उसे कथित पाटित आयातों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता। नियम 11(2) को अनुबंध-II के साथ पढ़ने पर प्राधिकारी के लिए यह जाँचना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों ने कथित क्षति उत्पन्न की है अथवा उसमें योगदान दिया है।
- xvi. घरेलू उद्योग ने स्वयं बाजार को खंडित किया है और स्वीकार किया है कि आयात मुख्य रूप से मूल्य-संवेदनशील खंड में मौजूद हैं, जबकि उसकी अपनी बिक्री मुख्यतः उत्पाद-संवेदनशील खंड में होती है। मूल्य-संवेदनशील खंड में प्रतिस्पर्धा करने में किसी अक्षमता को केवल पाटित आयातों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता। यह समान रूप से, यदि अधिक नहीं, तो घरेलू उद्योग की अपनी मूल्य संरचना, उत्पाद मिश्रण तथा बाजार स्थिति का परिणाम हो सकता है। घरेलू उद्योग का अपना स्पष्टीकरण दर्शाता है कि कथित मूल्य कटौती का आकलन अलग-अलग बाजार खंडों के संदर्भ में किया जा रहा है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अधिक है क्योंकि उसकी अधिकांश बिक्री उत्पाद-संवेदनशील बाजार में होती है, जबकि अधिकांश आयात मूल्य-संवेदनशील बाजार में होते हैं। ऐसी तुलना समान-से-समान तुलना नहीं है और इससे यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि संबद्ध आयात कथित क्षति का कारण हैं।
- xvii. घरेलू उद्योग हाल ही में स्थापित हुआ है, उसका परिचालन इतिहास सीमित है और उसने क्षति अवधि के दौरान केवल सीमित बाजार हिस्सेदारी प्राप्त की है। ये नई उद्योग इकाई की स्थापना अवस्था में अंतर्निहित कारक हैं और अतिरिक्त साक्ष्य के बिना इन्हें कथित पाटित आयातों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता।
- xviii. घरेलू उद्योग के अपने वितीय आँकड़े इस निष्कर्ष के विपरीत हैं कि कथित क्षति आयात-प्रेरित है। जहाँ ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ, नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल सकारात्मक बने हुए हैं, वहीं जाँच अवधि में कर-पूर्व लाभ नकारात्मक हो

जाता है। यह संबद्ध आयातों द्वारा कीमतों के दमन के बजाय वित्तीय और ब्याज लागतों की ओर संकेत करता है।

- xix. याचिका में आगे दर्ज है कि घरेलू उद्योग ने जब भी ऑर्डर उपलब्ध नहीं थे और अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध था, उत्पादन रोक दिया। कथित रूप से खोए गए अनुबंधों का भी कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया और बाद में विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति माँगी गई। ये स्वतंत्र परिचालन तथा साक्ष्य संबंधी मुद्दे हैं जिन्हें संबद्ध आयातों के प्रभाव से अलग नहीं किया गया है और जो कथित कारणात्मक संबंध को तोड़ते हैं।
- xx. याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई आयात पृथक्करण पद्धति में भी सीमाएँ हैं। कुल लेन-देन की संख्या के 13.58% तथा कुल सीआईएफ मूल्य के 21.04% वाले लेन-देन को पीयूसी अथवा पीयूसी के रूप में पहचाना नहीं जा सका। इससे भरोसा किए गए आयात आँकड़ों की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

- 68. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं।

वास्तविक क्षति और उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा एक साथ विद्यमान हो सकती हैं

- i. घरेलू उद्योग ने जनवरी 2022 में संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया और जाँच अवधि के अंत तक उसका परिचालन इतिहास 39 माह का था। इसके बावजूद, क्षति अवधि के दौरान घरेलू माँग में उसकी बाजार हिस्सेदारी ***% से कम रही और उसकी कुल घरेलू बिक्री *** मीट्रिक टन रही, जबकि उसकी कुल उत्पादन क्षमता *** मीट्रिक टन थी। अतः घरेलू उद्योग को पूर्णतः स्थापित उद्योग नहीं माना जा सकता और वह एक नवोदित उद्योग है, जिसने यद्यपि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है, किंतु अभी बाजार में अपना स्थान स्थापित नहीं कर पाया है। प्रतिवादी पक्षकार स्वयं इन आँकड़ों को स्वीकार करते हैं, फिर भी यह तर्क देते हैं कि घरेलू उद्योग पूर्णतः स्थापित हो चुका है। ऐसा तर्क उनके द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों के ही विपरीत है।
- ii. नियमावली के अंतर्गत वास्तविक क्षति तथा उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा, दोनों का एक साथ अस्तित्व संभव है। चीन जनवादी गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर

तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबर (IIR) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच में प्राधिकारी ने माना था कि कानून में क्षति के तीनों रूपों की एक साथ जाँच करने पर कोई रोक नहीं है, यह मुद्दा स्थापित है, तथा उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा के मामलों में घरेलू उद्योग के अस्तित्व की अवधि तक उसके प्रदर्शन की जाँच उन्हीं मानदंडों के आधार पर करना स्थापित प्रथा है जिनका उपयोग वास्तविक क्षति के मामलों में किया जाता है। प्राधिकारी ने यह भी माना था कि यह उचित होगा कि नए उद्योग के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना परियोजना रिपोर्ट में किए गए अनुमानों से की जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उसका प्रदर्शन क्षतिकारक रहा है या नहीं।

- iii. अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि आयातों के प्रभाव की जाँच दो प्रकार से की जाए—पहला, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करके; तथा दूसरा, परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित प्रदर्शन के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करके।

अपवर्जन उत्पाद-विशिष्ट होते हैं, बाजार-विशिष्ट नहीं

- iv. उत्पाद-संवेदनशील बाजार खंड में आने वाले आयातों को बाहर रखने का अनुरोध अपवर्जन संबंधी कानून की गलत समझ पर आधारित है। अपवर्जन उत्पाद-विशिष्ट होता है, बाजार-विशिष्ट नहीं। किसी पूरे बाजार खंड को बाहर नहीं किया जा सकता और ऐसा तर्क न तो भारत में और न ही वैश्विक पाटनरोधी प्रथा में मान्य है।
- v. भारत में पीयूसी के दो बाजार खंड हैं—एक उच्च-मात्रा वाला बाजार जो मूल्य-संवेदनशील है तथा दूसरा उत्पाद-संवेदनशील बाजार जो कीमत के प्रति अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। यह अंतर कीमत तथा आयात मात्रा के आधार पर बताया गया है; उत्पाद स्वयं समान है, अर्थात् विभिन्न डिजाइन और टेक्सचर वाले पीवीसी तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स। यह स्पष्टीकरण इस तथ्य को समझाने के लिए दिया गया था कि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत से अधिक कीमत पर बिक्री करने में सक्षम होने के बावजूद बहुत कम बिक्री मात्रा क्यों प्राप्त कर पाया और उच्च-मात्रा वाले बाजार की आवश्यकताओं को पूरा क्यों नहीं कर सका। उच्च-मात्रा वाले बाजार को आपूर्ति करने का अर्थ पीयूसी को उसके कच्चे माल की लागत से काफी कम कीमत पर बेचना होगा, जो MSME क्षेत्र की किसी इकाई के लिए व्यवहार्य नहीं है।

- vi. घरेलू उद्योग ने किसी भी रूप में उत्पाद-संवेदनशील बाजार में बिक्री करने की अपनी क्षमता को अनुकूल संकेत के रूप में स्वीकार नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने केवल यह कहा है कि सस्ते आयातों की उपस्थिति के कारण उसे अपने उत्पादन का अधिकांश भाग उन ग्राहकों को बेचने के लिए विवश होना पड़ा जो कीमत के प्रति कम संवेदनशील थे। जिन उत्पादों का घरेलू उद्योग वास्तव में उत्पादन तथा आपूर्ति कर रहा है, उन्हें दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता।

मात्रा संबंधी क्षति

- vii. जनवरी 2022 तक भारत में पीयूसी की माँग पूरी तरह आयातों से पूरी होती थी, क्योंकि उस समय कोई घरेलू उत्पादक नहीं था। भारत में नई क्षमता स्थापित होने के बावजूद क्षति अवधि के दौरान विषय देश से आयात पूर्ण मात्रा में बढ़े और जाँच अवधि में केवल मामूली गिरावट आई। सामान्यतः नई घरेलू क्षमता स्थापित होने पर आयात घटते हैं, किंतु वर्तमान मामले में वे बढ़े हैं।
- viii. विषय देश से आयात पूरी क्षति अवधि में माँग तथा भारतीय उत्पादन की तुलना में महत्वपूर्ण बने रहे और जाँच अवधि में भी बढ़े। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई, जबकि संबद्ध आयात केवल मामूली रूप से घटे। चार वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त उत्पादन तथा बिक्री की अत्यंत कम मात्रा मात्र से ही क्षति स्पष्ट होती है। घरेलू उत्पादन तथा बिक्री में बढ़ता हुआ सूचकांक केवल निम्न आधार वर्ष का परिणाम है, क्योंकि आधार वर्ष में केवल तीन माह का परिचालन शामिल था।
- ix. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पूरी क्षति अवधि, जिसमें जाँच अवधि भी शामिल है, ***% की सीमा में रही, जबकि संबद्ध आयातों ने प्रमुख हिस्सेदारी बनाए रखी तथा जाँच अवधि में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई। घरेलू उद्योग की सूचकांकित बाजार हिस्सेदारी 100 से बढ़कर 709 होने पर भरोसा करना वास्तविक वृद्धि का संकेत नहीं है, बल्कि कम आधार वर्ष का प्रभाव है। भारतीय माँग के लगभग ***% को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पूरी क्षति अवधि में केवल ***% से ***% के बीच रहा, जो परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित स्तरों से काफी कम था।

मूल्य संबंधी क्षति

- x. संबद्ध आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हो रही है। आयात घरेलू उद्योग की क्षति-रहित कीमत से भी कम कीमत पर आ रहे हैं, जिससे महत्वपूर्ण मूल्य से कम बिक्री हो रही है और घरेलू उद्योग उचित बिक्री कीमत प्राप्त नहीं कर पा रहा है।
- xi. संबद्ध आयातों की उतराई कीमत न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, बल्कि उसकी बिक्री लागत से भी कम है। इससे घरेलू उद्योग की कीमतें दब रही हैं और वह मात्रा-आधारित बाजार में बिक्री करने में सक्षम नहीं है। आयात की उतराई कीमत आधार वर्ष में ₹223 प्रति किलोग्राम से घटकर जाँच अवधि में ₹157 प्रति किलोग्राम हो गई, जो घरेलू उद्योग के प्रमुख कच्चे माल की लागत से भी कम है। जहाँ बेस पेपर की कीमत ₹200 से ₹250 प्रति किलोग्राम के बीच है, वहीं तैयार आयातित वॉलपेपर की उतराई कीमत केवल ₹157 प्रति किलोग्राम है। ऐसी कोई तार्किक स्थिति नहीं हो सकती जिसमें तैयार उत्पाद की कीमत उसके प्रमुख कच्चे माल की कीमत से भी कम हो। यह चीनी उत्पादकों और निर्यातकों के मूल्य निर्धारण व्यवहार को दर्शाता है।

आर्थिक मानदंड

- xii. घरेलू उद्योग को 2021-22 में हानि हुई, 2022-23 और 2023-24 में उत्पाद-संवेदनशील बाजार के ग्राहकों को बिक्री के कारण कुछ लाभप्रदता प्राप्त हुई, किंतु जाँच अवधि में यह लाभप्रदता पूरी तरह समाप्त हो गई। अत्यंत कम लाभ अर्जित करना उद्योग के स्वस्थ होने का संकेत नहीं है। लाभ इतना पर्याप्त होना चाहिए कि कंपनी अपना परिचालन बनाए रख सके, विस्तार कर सके तथा बाजार हिस्सेदारी बढ़ा सके। क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल अत्यंत कम रहा है। जाँच अवधि में घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है और जाँच अवधि में हुई हानि क्षति का स्पष्ट संकेत है।
- xiii. जाँच अवधि में ब्याज लागत ₹*** लाख है, जो कुल बिक्री लागत का ***% है, और इसे क्षति का कारण नहीं माना जा सकता। भारत में पीयूसी की महत्वपूर्ण माँग होने के बावजूद घरेलू उद्योग की लगभग पूरी क्षमता निष्क्रिय पड़ी हुई है।

वित्तीय विवरणों का विश्लेषण

- xiv. प्रतिवादी पक्षकार वित्तीय मानदंडों को चयनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग को निवल हानि हुई। हानि का कारण वित्तीय

लागत तथा मूल्यहास लागत नहीं है, क्योंकि ये निरपेक्ष रूप से बहुत कम हैं। वास्तव में, वित्तीय लागत वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में जाँच अवधि में घटी है तथा इसी अवधि में मूल्यहास लागत लगभग स्थिर रही है। इनमें से कोई भी मानदंड वित्त वर्ष 2023-24 के ₹*** लाख लाभ के जाँच अवधि में हानि में बदलने की व्याख्या नहीं कर सकता।

- xv. हानि का कारण पाटित संबद्ध आयात और विशेष रूप से कम बिक्री मात्रा है, क्योंकि घरेलू उद्योग अपने स्वयं के कच्चे माल की लागत से काफी कम कीमतों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। कम बिक्री मात्रा का अर्थ है कि घरेलू उद्योग ब्रेक-ईवन स्तर तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि आयात कीमत उसकी परिवर्ती उत्पादन लागत से भी कम है। यदि घरेलू उद्योग आयात कीमतों पर बिक्री करे, तो उसकी हानि और बढ़ेगी क्योंकि वह अपनी परिवर्ती लागत भी वसूल नहीं कर पाएगा। आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी परिवर्ती लागत तक वसूल करने की अनुमति नहीं दी है, बिक्री मात्रा बढ़ाकर प्रति इकाई स्थिर लागत कम करना तो दूर की बात है।

कारणात्मक संबंध

- xvi. जाँच अवधि में विषय देश से आयात भारत के कुल आयात का 88% हैं। कोरिया से आयात 3% से अधिक हैं, किंतु वे पाटित कीमतों पर नहीं हैं, जबकि अन्य देशों से व्यक्तिगत आयात मात्रा न्यूनतम सीमा से कम है और इसलिए वे क्षति का कारण नहीं हो सकते।
- xvii. क्षति अवधि के दौरान पीयूसी की माँग लगातार बढ़ी है, जाँच अवधि में केवल मामूली गिरावट आई है, जबकि घरेलू उद्योग पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता के साथ कार्य करता रहा है। इससे स्पष्ट है कि क्षति माँग में कमी के कारण नहीं हुई है। घरेलू उद्योग ने पीयूसी का निर्यात नहीं किया है, इसलिए क्षति को निर्यात प्रदर्शन के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता। प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग मुख्य रूप से केवल पीयूसी के उत्पादन तथा बिक्री में संलग्न है और दावा की गई क्षति भी केवल पीयूसी से संबंधित है। ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति से संबंधित हो।
- xviii. यह घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं चुनी गई बाजार स्थिति का मामला नहीं है, बल्कि बाध्यता का मामला है कि उसे केवल उत्पाद-संवेदनशील बाजार के ग्राहकों को बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। दोनों बाजार खंडों में उत्पाद समान है। यह उत्पाद मिश्रण, मूल्य रणनीति अथवा बाजार स्थिति का प्रश्न नहीं है; बल्कि यह इस तथ्य का परिणाम है कि

आयात घरेलू उद्योग को उस बाजार की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं देते जहाँ ऐसी कीमतों पर पर्याप्त मात्रा प्राप्त की जा सकती है जो उसकी परिवर्ती और स्थिर लागतों को पूरा कर सके।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

69. पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 को अनुबंध-II के साथ पढ़ने पर यह प्रावधान है कि क्षति का निर्धारण उन कारकों की जाँच पर आधारित होगा जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं। इसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों, जिनमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तु के घरेलू बाजार की कीमतों पर उनका प्रभाव तथा ऐसे आयातों का ऐसी वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव शामिल है, को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। पाटित आयातों के कीमतों पर प्रभाव की जाँच करते समय यह देखना आवश्यक है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हुई है, अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से दबाने अथवा ऐसी मूल्य-वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से रोकने का रहा है, जो अन्यथा हुई होती। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए अनुबंध-II के अनुसार उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले संकेतकों, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति तथा पाटन मार्जिन की मात्रा पर विचार किया गया है।
70. प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में इच्छुक पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और प्रतितर्कों की जाँच की है। नीचे किया गया विश्लेषण सभी इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई विभिन्न प्रस्तुतियों का समाधान करता है।
71. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग के कुछ मानदंडों में सुधार हुआ है, जबकि कुछ अन्य मानदंडों में गिरावट आई है। क्षति का निर्धारण किसी एक मानदंड के आधार पर नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी को सभी प्रासंगिक कारकों का समग्र रूप से परीक्षण करना आवश्यक है। कुछ मानदंडों में सुधार अपने आप में क्षति को नकारता नहीं है, यदि समग्र प्रदर्शन क्षति दर्शाता हो। इसी प्रकार, कुछ मानदंडों में गिरावट अपने आप में क्षति स्थापित नहीं करती, यदि समग्र आकलन इसके विपरीत हो।
72. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि वर्तमान मामले की क्षति अवधि का आधार वर्ष 2021-22 है, जिसमें घरेलू उद्योग केवल तीन माह तक परिचालन में था, क्योंकि वाणिज्यिक उत्पादन जनवरी 2022 में प्रारंभ हुआ था। ऐसे आधार वर्ष पर तैयार किए गए सूचकांकों में स्वाभाविक रूप से यांत्रिक विकृति होती है, क्योंकि उसके बाद किसी भी पूर्ण परिचालन वर्ष में तीन माह

के आधार की तुलना में अत्यधिक सूचकांकित वृद्धि दिखाई देगी। अतः प्राधिकारी ने प्रत्येक अवधि के वास्तविक रिपोर्ट किए गए आँकड़ों को सूचकांकों के साथ प्रस्तुत किया है और सीमित आधार वर्ष से गणना किए गए सूचकांक की तुलना में मुख्य रूप से वास्तविक स्तरों तथा बाद की अवधियों के बीच हुए परिवर्तन पर भरोसा किया है।

ज.3.1 क्षति जाँच की प्रकृति

73. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि एक ही उद्योग के लिए वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदन को एक साथ दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों के आलोक में इस आपत्ति पर पुनर्विचार किया है। नियम 11 में किसी स्थापित उद्योग को हुई क्षति और किसी उद्योग की स्थापना में मंदन के बीच अंतर किया गया है। वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग ने जनवरी, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया था और जांच की अवधि की समाप्ति तक लगभग 39 माह का प्रचालन पूरा कर लिया था। उसके वास्तविक उत्पादन, बिक्री, कीमतों, लाभप्रदता और अन्य आर्थिक मापदंडों से संबंधित आंकड़े जांच के लिए उपलब्ध हैं। अतः प्राधिकारी इस मामले में अंतिम क्षति निर्धारण के लिए वास्तविक क्षति को उचित आधार मानते हैं। सामान्य प्रस्ताव के रूप में यह निर्णय करना आवश्यक नहीं है कि क्षति के भिन्न-भिन्न रूपों की जांच कभी एक साथ की जा सकती है अथवा नहीं।
74. प्राधिकारी ने नियम 11 और अनुबंध II के अंतर्गत क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक कार्यनिष्पादन की जांच करके वास्तविक क्षति का मूल्यांकन किया है। निवेश और प्रचालन के अपेक्षित पैमाने की पृष्ठभूमि के रूप में परियोजना रिपोर्ट पर भी विचार किया गया है। तथापि, अनुमानित कार्यनिष्पादन कोई सुनिश्चित परिणाम नहीं है और न ही यह अपने आप में पाटित आयातों के कारण हुए वास्तविक मंदन का प्रमाण है। अतः प्राधिकारी का अंतिम निर्धारण सत्यापित वास्तविक क्षति मापदंडों पर आधारित है; परियोजना संबंधी तुलना पर केवल संदर्भ के लिए खंड ज.3.5 में पृथक रूप से चर्चा की गई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

i. माँग का आकलन (प्रत्यक्ष खपत)

75. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की माँग अथवा प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादक की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित माँग नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	विषय देश से आयात	मीट्रिक टन	3,265	3,514	4,431	3,931
2	अन्य देशों से आयात	मीट्रिक टन	477	904	1,282	373
3	कुल आयात	मीट्रिक टन	3,742	4,418	5,713	4,304
4	घरेलू उद्योग की बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	654	781	776
5	अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	मीट्रिक टन	-	-	-	-
6	भारतीय माँग	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	119	154	117
7	भारतीय उत्पादन	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	771	656	426
8	भारतीय माँग के संबंध में विषय देश से आयात	%	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	90	88	103
9	भारतीय उत्पादन के संबंध में विषय देश से आयात	%	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	14	21	28

76. प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध वस्तु की माँग क्षति अवधि के दौरान 2023-24 तक बढ़ी और जाँच अवधि में घटी, किंतु आधार वर्ष के स्तर से ऊपर बनी रही।

ii. पूर्ण एवं सापेक्ष रूप से आयात

77. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा निम्नानुसार रही:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	संबद्ध आयात	मीट्रिक टन	3,265	3,514	4,431	3,931
2	माँग	मीट्रिक टन	***	***	***	***
3	भारतीय उत्पादन	मीट्रिक टन	14	106	90	59
4	माँग के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	90	88	103
5	भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	14	21	28
6	कुल आयात के संबंध में संबद्ध आयात	%	87	80	78	91

78. प्राधिकारी नोट करता है कि यद्यपि जाँच अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में घटी, किंतु यह गिरावट उसी समय भारतीय माँग में आई गिरावट की तुलना में काफी कम थी। परिणामस्वरूप, जाँच अवधि में भारतीय माँग में संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी बढ़ गई। संबद्ध आयात भारत के कुल आयात का अत्यधिक बड़ा हिस्सा बने रहे और भारतीय बाजार में आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बने रहे।
79. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि पूरी क्षति अवधि में संबद्ध आयात भारतीय उत्पादन से कई गुना अधिक रहे। चूँकि घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष में केवल आंशिक अवधि के लिए परिचालन किया था, इसलिए उस वर्ष संबद्ध आयातों और भारतीय उत्पादन का अनुपात प्रतिनिधिक नहीं माना गया है। तथापि, बाद की अवधियों की जाँच करने पर भी यह देखा गया है कि जाँच अवधि में संबद्ध आयातों का भारतीय उत्पादन से अनुपात महत्वपूर्ण रूप

से बढ़ा, जो घरेलू उत्पादन की तुलना में संबद्ध आयातों की निरंतर और पर्याप्त उपस्थिति दर्शाता है।

80. अतः केवल इस आधार पर कि जाँच अवधि में संबद्ध आयात पूर्ण मात्रा में घटे हैं, यह तर्क कि मात्रा संबंधी कोई क्षति नहीं है, आँकड़ों से समर्थित नहीं है। जहाँ आयात माँग की तुलना में कम तेजी से घटते हैं, वहाँ बाजार में उनकी सापेक्ष उपस्थिति बढ़ जाती है। वर्तमान मामले में जाँच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों ने भारतीय माँग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और वे कुल आयात तथा घरेलू उत्पादन दोनों की तुलना में प्रमुख बने रहे। अतः प्राधिकारी का विचार है कि जाँच अवधि में संबद्ध आयातों का मात्रा प्रभाव महत्वपूर्ण बना रहा।

iii. माँग में बाजार हिस्सेदारी

81. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों, घरेलू उद्योग तथा अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार रही:

बाजार हिस्सेदारी	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	547	506	665
विषय देश	%	87%	78%	77%	90%
अन्य देश	%	13%	20%	22%	9%

82. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति जाँच की प्रत्येक अवधि में पाटित आयातों की भारतीय बाजार में प्रमुख हिस्सेदारी रही है। घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी सूचकांकित रूप में बढ़ी है, किंतु इसे वास्तविक स्तरों के संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है। आधार वर्ष में घरेलू उद्योग की भारतीय बाजार में हिस्सेदारी ***% थी और जाँच अवधि में भी केवल ***% रही। ऐसा उद्योग, जिसकी क्षति अवधि के अंत में अपने घरेलू बाजार में हिस्सेदारी ***% से कम है, जबकि उसकी स्थापित क्षमता उस बाजार के लगभग ***% के बराबर है, उसे बाजार में स्थापित उद्योग नहीं माना जा सकता। प्राधिकारी आगे नोट करता है कि अन्य देशों से आयात 2023-24 में माँग का 22% तथा जाँच अवधि में 9% थे, जबकि जाँच अवधि में विषय देश की हिस्सेदारी माँग का 90% बनी रही।

ज.3.3 पाटित आयातों का मूल्य प्रभाव

83. विषय देश से आयातों के मूल्य प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या ऐसी मूल्य-वृद्धि को रोकने का रहा है, जो सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा हुई होती।

i. मूल्य कटौती

84. मूल्य कटौती के विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना विषय देश से आयातों की उतराई कीमत से की गई है।

विवरण	इकाई	विषय देश
निवल बिक्री प्राप्ति	यूएसडी/मीट्रिक टन	***
उतराई कीमत	यूएसडी/मीट्रिक टन	2,020
मूल्य कटौती	यूएसडी/मीट्रिक टन	***
मूल्य कटौती	%	***
मूल्य कटौती	रैंज	370-380%

85. मूल्य कटौती सकारात्मक है और इसकी मात्रा अत्यधिक है। प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षकारों की इस आपत्ति की जाँच की है कि यह तुलना समान-से-समान तुलना नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग मुख्यतः उस बाजार खंड में बिक्री करता है जिसे वह उत्पाद-संवेदनशील खंड कहता है, जबकि आयात मुख्यतः मूल्य-संवेदनशील खंड में केंद्रित हैं। इसलिए उनके अनुसार ऐसी तुलना आयातों के प्रभाव के संबंध में कोई निष्कर्ष स्थापित नहीं करती।
86. प्राधिकारी नोट करता है कि ***% की मूल्य कटौती को उस कीमत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जिस पर आयातों की अनुपस्थिति में घरेलू उद्योग अपनी वस्तु बेच सकता था। घरेलू उद्योग *** मीट्रिक टन मात्रा की बिक्री औसतन ₹*** प्रति किलोग्राम की कीमत पर करता है, जो मुख्यतः विकसित एवं कैटलॉग किए गए डिजाइनों वाले उच्च-मूल्य बाजार खंड में होती है। इसके विपरीत, संबद्ध आयात भारत में ₹173 प्रति किलोग्राम की उतराई कीमत पर प्रवेश करते हैं। चूँकि ये कीमतें बाजार के अलग-अलग वाणिज्यिक खंडों से संबंधित हैं, इसलिए मूल्य कटौती के प्रतिशत को उस कीमत की प्रत्यक्ष समान-से-समान तुलना के रूप में नहीं माना जा सकता जिस पर घरेलू उद्योग अन्यथा अपनी वस्तु बेचता।
87. तथापि, प्राधिकारी इस आपत्ति के आधार पर इच्छुक पक्षकारों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करता। अनुबंध-II के अंतर्गत प्रासंगिक प्रश्न केवल यह नहीं है कि अंकगणितीय तुलना के आधार पर मूल्य कटौती विद्यमान है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने अथवा ऐसी मूल्य-वृद्धि को रोकने का है, जो अन्यथा हुई होती।

यह तथ्य स्वयं जाँच का विषय है कि *** मीट्रिक टन के बाजार में घरेलू उद्योग केवल *** मीट्रिक टन की बिक्री करता है और उसकी बिक्री प्राप्ति आयातों की उतराई कीमत से काफी अधिक है। प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध अभिलेख के अनुसार जाँच अवधि में संबद्ध आयातों की उतराई कीमत ₹173 प्रति किलोग्राम थी, जो समान वस्तु के प्रमुख कच्चे माल अर्थात् बेस पेपर की कीमत से भी कम है। घरेलू उद्योग ने बेस पेपर की कीमत ₹200 से ₹250 प्रति किलोग्राम बताई है और इच्छुक पक्षकारों ने किसी साक्ष्य के माध्यम से इसका खंडन नहीं किया है। कोई उत्पादक तैयार वॉलपेपर को उस सबस्ट्रेट की लागत से कम कीमत पर नहीं बेच सकता जिससे वह बनाया गया है। इसका परिणाम यह नहीं है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमत घटाकर आयात कीमत के स्तर पर ले आए, बल्कि यह है कि वह बाजार के केवल उस सीमित हिस्से तक सीमित हो जाता है जहाँ कीमत प्रमुख निर्धारक नहीं होती।

88. अतः प्राधिकारी मूल्य कटौती के आँकड़े को इस तथ्य का प्रमाण मानता है कि संबद्ध आयात भारतीय बाजार में उस कीमत के बहुत छोटे हिस्से पर उपलब्ध हैं जिस कीमत पर घरेलू उद्योग बिक्री करता है। इसलिए प्राधिकारी केवल अंकगणितीय मूल्य कटौती प्रतिशत को ही क्षति का माप मानने के बजाय इस तथ्य के घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा, कीमतों तथा लाभप्रदता पर प्रभाव की आगे जाँच करता है।

i. मूल्य दमन एवं मूल्य हास

89. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से कम कर रहे हैं अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से दबाने या ऐसी मूल्य-वृद्धि को रोकने का है जो सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा निवल बिक्री प्राप्ति में हुए परिवर्तनों की जाँच की है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	बिक्री लागत	₹/मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	85	79	106
2	बिक्री कीमत	₹/मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	99	95	118
3	उतराई कीमत	₹/मीट्रिक टन	2,27,829	2,25,142	1,92,271	1,72,555
	वृद्धि/(कमी)					
4	बिक्री लागत	₹/मीट्रिक टन	—	***	***	***
5	बिक्री कीमत	₹/मीट्रिक टन	—	***	***	***

6	उतराई कीमत	₹/मीट्रिक टन	—	***	***	***
---	------------	--------------	---	-----	-----	-----

90. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की उतराई कीमत लगातार और महत्वपूर्ण रूप से घटी है। आधार वर्ष से जाँच अवधि के बीच इसमें 24% की गिरावट आई है और प्रत्येक अवधि में यह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत, दोनों से काफी कम रही है।
91. इच्छुक पक्षकारों ने इस तथ्य पर भरोसा किया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत 2023-24 में 95 के सूचकांक स्तर से बढ़कर जाँच अवधि में 118 हो गई। तथापि, अद्यतन आँकड़े दर्शाते हैं कि इसी अवधि में बिक्री लागत 79 के सूचकांक स्तर से बढ़कर 106 हो गई। वास्तविक रूप में जाँच अवधि में बिक्री लागत ₹*** प्रति मीट्रिक टन थी, जबकि बिक्री कीमत ₹*** प्रति मीट्रिक टन थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹*** प्रति मीट्रिक टन की हानि हुई। इसके विपरीत, 2023-24 में घरेलू उद्योग ने ₹*** प्रति मीट्रिक टन का लाभ अर्जित किया था। अतः यद्यपि घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री कीमत बढ़ाई, किंतु यह वृद्धि बिक्री लागत में हुई अधिक तीव्र वृद्धि को समाहित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और उद्योग लाभ की स्थिति से हानि की स्थिति में चला गया।
92. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत उसकी अत्यंत कम उत्पादन मात्रा से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि *** मीट्रिक टन की स्थापित क्षमता की स्थिर लागत केवल *** मीट्रिक टन उत्पादन पर वितरित हो रही है। जाँच अवधि में उत्पादन में गिरावट से प्रति इकाई लागत और बढ़ गई। संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को बाजार की बहुत छोटी हिस्सेदारी तक सीमित करके उसे दक्ष उत्पादन मात्रा प्राप्त करने की क्षमता से वंचित किया है और इस प्रकार अधिक लागत तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में महत्वपूर्ण मूल्य ह्रास और मूल्य दमन में योगदान दिया है।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

93. नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार क्षति निर्धारण में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जाँच की जानी आवश्यक है। इस जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। इनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; तथा नकदी प्रवाह, भंडार, रोजगार,

मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित प्रतिकूल प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जाँच की गई है।

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग एवं बिक्री

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	क्षमता	मीट्रिक टन	****	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	400	400	400
2	पीयूसी का उत्पादन	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	771	656	426
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	193	164	106
4	घरेलू बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	654	781	776

*2021-22 की क्षमता जनवरी 2022 से प्रारंभ तीन माह की अवधि के लिए दर्शाई गई है, क्योंकि वाणिज्यिक उत्पादन उसी माह प्रारंभ हुआ था।

94. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता 2022-23 से अपरिवर्तित रही है और भारतीय माँग की तुलना में पर्याप्त है। तथापि, घरेलू उद्योग ने पूरी संबंधित अवधि में अत्यंत कम क्षमता उपयोग पर परिचालन किया है। 2022-23 के बाद उत्पादन लगातार घटा और जाँच अवधि में इसमें और गिरावट आई। जाँच अवधि में क्षमता उपयोग भी घटा और अत्यंत निम्न स्तर पर बना रहा।
95. प्राधिकारी नोट करता है कि सूचकांकित रुझानों में दिखाई देने वाली उत्पादन और बिक्री की वृद्धि सीमित आधार वर्ष से प्रभावित है, जिसमें घरेलू उद्योग ने केवल तीन माह परिचालन किया था। अतः अधिक प्रासंगिक तुलना बाद की अवधियों के प्रदर्शन की है। इस आधार पर 2022-23 के बाद प्रत्येक क्रमिक अवधि में उत्पादन घटा, जबकि घरेलू बिक्री प्रारंभिक वृद्धि के बाद जाँच अवधि में व्यापक रूप से स्थिर रही। इस प्रकार घरेलू उद्योग अपनी उपलब्ध क्षमता को समरूप उत्पादन और बिक्री में परिवर्तित नहीं कर सका तथा अत्यंत कम क्षमता उपयोग पर परिचालन करता रहा। अतः जाँच अवधि के दौरान मात्रा संबंधी मानदंड सतत वृद्धि के बजाय कमजोर होते प्रदर्शन को दर्शाते हैं।

ii. भंडार

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
-------	------	---------	---------	---------	-----------

प्रारंभिक भंडार	मीट्रिक टन	***	***	***	***
अंतिम भंडार	मीट्रिक टन	***	***	***	***
औसत भंडार	मीट्रिक टन	***	***	***	***
रुझान	सूचकांक	100	288	515	502

96. प्राधिकारी नोट करता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का औसत भंडार पाँच गुना बढ़ा और जाँच अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा रखा गया औसत भंडार उसके पूरे वार्षिक उत्पादन से भी अधिक था। जाँच अवधि में अंतिम भंडार में कमी ऐसे समय हुई जब उत्पादन में 35% की गिरावट आई थी। प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने कहा है कि जब ऑर्डर उपलब्ध नहीं होते थे और अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध रहता था, तब वह उत्पादन रोक देता था। भंडार की स्थिति इस कथन की पुष्टि करती है और यह ऊपर जाँची गई कम बिक्री मात्रा का परिणाम है, उसका उत्तर नहीं।

iii. रोजगार, उत्पादकता एवं मजदूरी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	100	100	100
2	वेतन एवं मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	912	566	512
3	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मीट्रिक टन/ संख्या	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	771	656	426

97. प्राधिकारी नोट करता है कि कर्मचारियों की संख्या पूरी क्षति अवधि में *** पर स्थिर रही है, जो स्वयं उस अत्यंत छोटे स्तर का परिणाम है जिस पर संयंत्र ने परिचालन किया। प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2022-23 में *** मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में *** मीट्रिक टन हो गई, जो उत्पादन में गिरावट के अनुरूप है। इसी अवधि में वेतन एवं मजदूरी में ***% की कमी आई। घरेलू उद्योग ने रोजगार के आधार पर क्षति का दावा नहीं किया है।

iv. लाभ, नकद लाभ एवं नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
----------	-------	------	---------	---------	---------	-----------

1	बिक्री लागत	₹/मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	85	79	106
2	बिक्री कीमत	₹/मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	99	95	118
3	लाभ/(हानि)	₹/मीट्रिक टन	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	-100	15	36	-21
4	कर-पूर्व लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	-100	96	283	-161
5	ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	716	978	532
6	नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	6,635	8,898	4,176
7	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
	रुझान	सूचकांक	100	467	613	402

98. प्राधिकारी नोट करता है कि आधार वर्ष के बाद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ और मध्यवर्ती अवधियों में वह सकारात्मक रही। तथापि, यह सुधार जाँच अवधि में कायम नहीं रहा। जाँच अवधि में घरेलू उद्योग प्रति इकाई आधार पर तथा कर-पूर्व लाभ के स्तर पर पुनः हानि की स्थिति में आ गया। नकद लाभ में भी तीव्र गिरावट आई तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई। अतः लाभप्रदता संबंधी मानदंड जाँच अवधि में घरेलू उद्योग के वित्तीय प्रदर्शन में स्पष्ट कमजोरी दर्शाते हैं।
99. इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ सकारात्मक बना रहा, नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल भी सकारात्मक रहे और इसलिए जाँच अवधि में कर-पूर्व हानि का मुख्य कारण संबद्ध आयातों के बजाय वित्तीय लागत थी। प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध लेखापरीक्षित वित्तीय सूचना के आधार पर इस तर्क की जाँच की है। यह देखा गया है कि ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ तथा नकद लाभ सकारात्मक बने रहने के बावजूद जाँच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद सृजन तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

में महत्वपूर्ण गिरावट आई। अतः कई वित्तीय संकेतकों में गिरावट स्पष्ट है और इसका आकलन केवल सकारात्मक पीबीआईटी के अस्तित्व के आधार पर नहीं किया जा सकता।

घरेलू उद्योग के वित्तीय आँकड़े (₹ लाख)

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
परिचालन से राजस्व	₹ लाख	***	***	***	***
उपभोग की गई सामग्री की लागत	₹ लाख	***	***	***	***
भंडार में परिवर्तन	₹ लाख	***	***	***	***
कर्मचारी लाभ व्यय	₹ लाख	***	***	***	***
वित्तीय लागत	₹ लाख	***	***	***	***
मूल्यहास	₹ लाख	***	***	***	***
अन्य व्यय	₹ लाख	***	***	***	***
कर-पूर्व लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***

100. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग की वित्तीय लागत 2023-24 में ₹*** लाख से घटकर जाँच अवधि में ₹*** लाख हो गई और मूल्यहास व्यय क्रमशः ₹*** लाख तथा ₹*** लाख पर लगभग अपरिवर्तित रहा। जिस अवधि में घरेलू उद्योग लाभ से हानि की स्थिति में गया, उस अवधि में इन दोनों मदों में कोई वृद्धि नहीं हुई। जो लागत स्वयं घटी है, वह उस वित्तीय परिणाम में गिरावट की व्याख्या नहीं कर सकती जिसमें वह योगदान करती है। अतः यह तर्क कि जाँच अवधि की हानि वित्तीय लागत और मूल्यहास के कारण हुई, आँकड़ों से समर्थित नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता।
101. प्राधिकारी आगे नोट करता है कि इच्छुक पक्षकारों द्वारा राजस्व में ₹*** लाख से ₹*** लाख तक हुई वृद्धि तथा उपभोग की गई सामग्री की लागत में कमी पर किया गया भरोसा भी उनके तर्क का समर्थन नहीं करता। राजस्व में वृद्धि की तुलना केवल तीन माह वाले आधार वर्ष से की गई है। 2023-24 और जाँच अवधि के बीच राजस्व लगभग ₹*** करोड़ पर स्थिर रहा, जबकि उपभोग की गई सामग्री की लागत ₹*** लाख से घटकर ₹*** लाख हो गई। यह गिरावट, जैसा कि इच्छुक पक्षकारों ने दावा किया है, बेहतर परिचालन दक्षता का प्रमाण नहीं है। यह उत्पादन में % की कमी का अंकगणितीय परिणाम है, जिसके साथ भंडार की स्थिति ₹ लाख की वृद्धि से बदलकर ₹*** लाख की निकासी में परिवर्तित हो गई। यह दर्शाता है कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री की पूर्ति वर्तमान उत्पादन की तुलना में काफी हद तक उपलब्ध स्टॉक से की।

102. ब्याज एवं कर से पूर्व सकारात्मक लाभ तथा नियोजित पूंजी पर सकारात्मक प्रतिफल के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि इनकी गणना ऐसे पूंजी आधार पर की गई है जो *** मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन के अनुरूप निवेश को दर्शाता है, जबकि घरेलू उद्योग ने केवल *** मीट्रिक टन का उत्पादन किया। नियोजित पूंजी पर % का प्रतिफल तथा ₹ लाख का ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ ऐसे उद्योग की स्वस्थ स्थिति का संकेत नहीं माना जा सकता जो अपनी बिक्री लागत तक वसूल करने में असमर्थ है, जिसका उत्पादन 2022-23 से लगभग ***% घट चुका है और जिसकी ***% क्षमता निष्क्रिय पड़ी है।

v. वृद्धि

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच अवधि
1	उत्पादन (मीट्रिक टन)	वर्ष/वर्ष (%)	-	671.11	-14.95	-35.05
2	घरेलू बिक्री (मीट्रिक टन)	वर्ष/वर्ष (%)	-	553.95	19.37	-0.54
3	कर-पूर्व लाभ (₹ लाख)	वर्ष/वर्ष (%)	-	NM	194.35	NM
4	भंडार (मीट्रिक टन)	वर्ष/वर्ष (%)	-	187.51	79.26	-2.67
5	बाजार हिस्सेदारी (%)	वर्ष/वर्ष (%)	-	447.40	-7.60	31.49
6	नकद लाभ (₹ लाख)	वर्ष/वर्ष (%)	-	6,534.64	34.11	-53.07
7	ROI (%)	वर्ष/वर्ष (%)	-	366.57	31.30	-34.45

103. प्राधिकारी नोट करता है कि परिचालन प्रारंभ होने के बाद पहले पूर्ण वर्ष में घरेलू उद्योग ने उत्पादन और घरेलू बिक्री में मजबूत वृद्धि दर्ज की, यद्यपि तीन माह के आधार वर्ष के कारण यह वृद्धि अधिक दिखाई देती है। इसके बाद उत्पादन 2023-24 में 14.95% घटा और जाँच अवधि में इसमें और 35.05% की गिरावट आई। घरेलू बिक्री 2023-24 में 19.37% बढ़ी और जाँच अवधि में व्यापक रूप से स्थिर रही तथा केवल 0.54% घटी। कर-पूर्व लाभ 2021-22 की हानि से सुधरकर 2022-23 में लाभ में आया और 2023-24 में आगे बढ़ा, किंतु जाँच अवधि में पुनः हानि में बदल गया। अतः जहाँ लाभ का चिह्न बदलता है, वहाँ सामान्य वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत को 'NM' दर्शाया गया है। जाँच अवधि में नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में क्रमशः 53.07% तथा 34.45% की गिरावट आई। औसत भंडार 2.67% घटा, जबकि बाजार हिस्सेदारी 31.49% बढ़ी। समग्र रूप से, जाँच अवधि में

बिक्री मात्रा व्यापक रूप से स्थिर रहने और बाजार हिस्सेदारी में सुधार के बावजूद उत्पादन तथा लाभप्रदता में गिरावट दिखाई देती है।

vi. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

104. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने तालोजा स्थित विनिर्माण इकाई में निवेश किया और जनवरी 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया। इसके बाद से संयंत्र का क्षमता उपयोग ***% से अधिक नहीं हुआ है। जाँच अवधि में घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत तक वसूल नहीं कर सका और उसका नकद लाभ आधे से भी अधिक घट गया। इन परिस्थितियों में घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद में नया निवेश करने की स्थिति में नहीं है और उसकी पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

vii. पाटन मार्जिन की मात्रा

105. प्राधिकारी नोट करता है कि जियांगशी कासावॉल, जियांगशी झुओया तथा विषय देश के शेष उत्पादकों के लिए भारित पाटन मार्जिन सकारात्मक, महत्वपूर्ण तथा न्यूनतम सीमा से अधिक है।

viii. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

106. प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध आयात भारतीय बाजार का लगभग 90% (89.75%) हिस्सा रखते हैं और इसलिए बाजार में कीमत निर्धारण की प्रमुख शक्ति हैं। ***% से कम बाजार हिस्सेदारी रखने वाला घरेलू उद्योग वाणिज्यिक दृष्टि से कीमत स्वीकार करने वाला पक्ष है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की उतराई कीमत में 24% की गिरावट आई और जाँच अवधि में यह समान वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख कच्चे माल की कीमत से भी कम रही। इन परिस्थितियों में घरेलू उद्योग अपनी लागत में वृद्धि के अनुरूप कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा। संबद्ध आयातों के कारण उसकी कीमतों में हास हुआ और ऐसी मूल्य-वृद्धि बाधित हुई जो अन्यथा हो सकती थी।

ज.3.5 परियोजना अनुमानों के साथ संदर्भगत तुलना

107. प्राधिकारी ने निवेश के समय तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुमानों की तुलना में घरेलू उद्योग के वास्तविक कार्यनिष्पादन की भी जांच की है। यह तुलना प्रचालन के नियोजित पैमाने के संबंध में संदर्भ प्रदान करती है। इसका प्रयोग वास्तविक मंदन के पृथक परीक्षण अथवा निर्धारण के रूप में नहीं किया गया है।

परियोजना अनुमानों की तुलना में वास्तविक कार्यनिष्पादन (जांच की अवधि)

विवरण	इकाई	अनुमानित*	वास्तविक#	अनुमानित के % के रूप में वास्तविक
-------	------	-----------	-----------	-----------------------------------

उत्पादन	मी.ट.	***	***	***
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***
बिक्री मूल्य	₹ लाख	***	***	***
कर-पूर्व लाभ	₹ लाख	***	***	***
ब्याज और कर-पूर्व लाभ	₹ लाख	***	***	***
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***

**(घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार)
#(घरेलू उद्योग के अनुबंध IV-क में उल्लिखित वास्तविक आंकड़ों के अनुसार)*

108. घरेलू उद्योग ने अनुमानित उत्पादन का ***, अनुमानित घरेलू बिक्री का ***, और अनुमानित बिक्री मूल्य का *** प्राप्त किया, और अनुमानित कर-पूर्व लाभ के स्थान पर उसे हानि हुई। इन अंतरों से यह दर्शाया गया है कि वास्तविक प्रचालन नियोजित पैमाने से काफी नीचे बने रहे। तथापि, परियोजना संबंधी आंकड़े व्यावसायिक अनुमान हैं, और केवल इस अंतर से यह स्थापित नहीं होता है कि पाटित आयातों ने उद्योग की स्थापना में वास्तविक रूप से मंदन उत्पन्न किया। जांच की अवधि की समाप्ति तक घरेलू उद्योग लगभग 39 माह से समान वस्तु का विनिर्माण और बिक्री कर रहा था। उसके वास्तविक आर्थिक कार्यनिष्पादन और पाटित आयातों के कारण हुई क्षति का मूल्यांकन वास्तविक क्षति के अंतर्गत किया गया है। तदनुसार, वास्तविक मंदन का दावा वर्तमान रिकॉर्ड के आधार पर स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होता है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता है।

ज.3.6 क्षति पर निष्कर्ष

109. ऊपर जाँचे गए सभी मानदंडों के समग्र आकलन के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करता है:
- क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयात पूर्ण मात्रा में बढ़े हैं और जाँच अवधि में उनकी गिरावट उसी समय माँग में आई गिरावट की तुलना में काफी कम रही। परिणामस्वरूप, भारतीय बाजार में उनकी हिस्सेदारी 90% रही।

- ii. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की उतराई कीमत में 24% की गिरावट आई और यह समान वस्तु के प्रमुख कच्चे माल की कीमत से भी कम है।
- iii. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी ***% से कम तथा क्षमता उपयोग ***% से कम रहा। उसका उत्पादन 2022-23 के *** मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में *** मीट्रिक टन हो गया, अर्थात् इसमें ***% की गिरावट आई।
- iv. घरेलू उद्योग 2023-24 में ₹*** प्रति मीट्रिक टन के लाभ से जाँच अवधि में ₹*** प्रति मीट्रिक टन की हानि की स्थिति में चला गया। उसका नकद लाभ आधे से भी अधिक घट गया और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी गिरावट आई, जबकि इसी अवधि में उसकी वित्तीय लागत घटी और मूल्यहास लागत लगभग स्थिर रही।
- v. घरेलू उद्योग ने अपनी संस्थापित क्षमता से काफी कम स्तर पर प्रचालन किया। उसके वास्तविक कार्यनिष्पादन और परियोजना अनुमानों के बीच के अंतर को संदर्भगत सूचना के रूप में माना गया है, न कि वास्तविक मंदन के पृथक निष्कर्ष के रूप में।

110. पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों तथा घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर उनके परिणामस्वरूप पड़े प्रभाव की समग्र जांच करने पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। वास्तविक मंदन का दावा स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होता है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता है।

झ कारणात्मक संबंध एवं गैर-आरोपण विश्लेषण

111. क्षति के अस्तित्व तथा पाटित आयातों के मात्रा एवं मूल्य प्रभावों की जाँच करने के बाद प्राधिकारी ने यह जाँच की है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति नियमावली में उल्लिखित पाटित आयातों के अतिरिक्त किसी अन्य कारक के कारण तो नहीं हुई है।

i. तीसरे देशों से आयात की मात्रा एवं मूल्य

112. विषय देश के अतिरिक्त अन्य देशों से आयात 2023-24 में 1,282.07 मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में 372.84 मीट्रिक टन रह गया और माँग में उनकी हिस्सेदारी 22.14% से घटकर 8.51% हो गई। मुख्य गैर-विषय देशों से आयात की कीमतें संबद्ध आयातों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक थीं। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति तीसरे देशों से आयातों के लिए आरोपित नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस अवधि में घरेलू उद्योग लाभ से हानि की

स्थिति में गया, उसी अवधि में तीसरे देशों से आयात की मात्रा और बाजार हिस्सेदारी दोनों में तीव्र गिरावट आई।

ii. माँग में संकुचन

113. संबद्ध वस्तु की माँग 2023-24 में *** मीट्रिक टन से घटकर जाँच अवधि में *** मीट्रिक टन रह गई, किंतु यह आधार वर्ष की तुलना में अभी भी ***% अधिक थी। प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच अवधि में माँग घरेलू उद्योग की *** मीट्रिक टन की संपूर्ण स्थापित क्षमता से काफी अधिक थी। जो उद्योग *** मीट्रिक टन के बाजार में *** मीट्रिक टन भी नहीं बेच पा रहा है, उसकी बिक्री बाजार के आकार से सीमित नहीं कही जा सकती। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति माँग में संकुचन के लिए आरोपित नहीं की जा सकती।

iii. उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन

114. किसी इच्छुक पक्षकार द्वारा संबद्ध वस्तु के उपभोग के पैटर्न में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं बताया गया है जो घरेलू उद्योग को क्षति का कारण हो सकता था।

iv. प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियाँ एवं व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

115. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा अथवा प्रतिस्पर्धा की परिस्थिति नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति का कारण हो सकती थी।

v. प्रौद्योगिकी में विकास

116. जाँच में प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन सामने नहीं आया है जिसके कारण घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी अप्रचलित हो गई हो। घरेलू उद्योग रोटोग्रैवियर तथा स्क्रीन-प्रिंटिंग लाइनों का उपयोग करता है, जो समान वस्तु के विनिर्माण में वाणिज्यिक रूप से प्रयुक्त प्रौद्योगिकियाँ हैं।

vi. उत्पादकता

117. घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता उसके उत्पादन में गिरावट के अनुरूप घटी है। उत्पादकता में यह गिरावट उत्पादन में कमी का परिणाम है और क्षति का कोई स्वतंत्र कारण नहीं है।

vii. घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन

118. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं किया है। ऊपर जाँची गई क्षति केवल घरेलू बाजार में उसके प्रदर्शन से संबंधित है और इसे निर्यात प्रदर्शन के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता।

viii. अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

119. घरेलू उद्योग मुख्य रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में संलग्न है तथा उसने समान वस्तु से संबंधित सूचना को पृथक करके उपलब्ध कराया है। अतः जाँची गई क्षति को अन्य उत्पादों के प्रदर्शन के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता।

ix. परिचालन की नवोदित अवस्था एवं वित्तीय संरचना

120. प्राधिकरण ने प्रतिवादियों के इस दावे की जांच की है कि घरेलू उद्योग की कम बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता उसके स्थापना चरण के कारण हैं तथा पीओआई में हुई उसकी हानि वित्त लागतों के कारण है। घरेलू उद्योग ने संचालन के 39 महीने पूरे कर लिए थे, फिर भी 2022-23 के बाद उसका उत्पादन लगातार घटता रहा। पीओआई के दौरान वित्त लागतों में कमी आई और मूल्यहास लगभग अपरिवर्तित रहा। बिक्री लागत प्रति इकाई में वृद्धि मुख्यतः कम उत्पादन के कारण हुई, जिससे प्रति इकाई स्थिर लागत बढ़ गई, तथा बिक्री बनाए रखने के लिए मौजूदा भंडार के उपयोग के कारण हुई। इसलिए प्रतिवादियों के तर्क स्वीकार नहीं किए जाते।

x. घरेलू उद्योग का उत्पाद विभाजन, मूल्य संरचना एवं बाजार स्थिति

121. इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की मूल्य-संवेदनशील खंड में प्रतिस्पर्धा करने की अक्षमता उसकी अपनी मूल्य संरचना, उत्पाद मिश्रण और बाजार स्थिति का परिणाम है। प्राधिकारी नोट करता है कि जिस बाजार विभाजन पर यह तर्क आधारित है, उसका वर्णन स्वयं घरेलू उद्योग ने किया था और यह केवल इस बात की व्याख्या करने के लिए किया गया था कि उसकी बिक्री प्राप्ति आयातों की उतराई कीमत से अधिक होने के बावजूद उसकी बिक्री मात्रा अत्यंत कम क्यों है।
122. प्राधिकारी यह स्वीकार नहीं करता कि बाजार विभाजन क्षति का कोई स्वतंत्र कारण है। अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के अनुसार जाँच अवधि में संबद्ध आयातों की उतराई कीमत समान वस्तु के विनिर्माण के लिए आवश्यक बेस पेपर की लागत से भी कम थी। जहाँ आयात प्रमुख इनपुट की लागत से भी कम कीमत पर उपलब्ध हों, वहाँ कोई भी घरेलू उत्पादक उस बाजार खंड में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, चाहे उसकी मूल्य संरचना अथवा बाजार स्थिति कुछ भी हो। अतः घरेलू उद्योग का उस सीमित बाजार खंड तक सीमित रहना, जहाँ कीमत प्रमुख निर्धारक नहीं है, पाटित आयातों का परिणाम है, न कि उनके साथ समानांतर रूप से कार्य करने वाला कोई स्वतंत्र कारण। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि इच्छुक पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की मूल्य संरचना अथवा उत्पाद मिश्रण के किसी विशिष्ट तत्व की पहचान नहीं की है और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर रखा है।

123. ₹600 से ₹900 प्रति किलोग्राम के “उत्पाद-संवेदनशील” मूल्य वर्ग में आने वाले आयातों को संबद्ध आयातों से बाहर रखने का संबंधित अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया जाता। क्षति की जाँच विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए की जाती है। किसी मूल्य सीमा के आधार पर आयातों को बाहर रखना न तो उत्पाद अपवर्जन है और न ही संबद्ध आयातों को परिभाषित करने की कोई मान्य पद्धति है। इसके विपरीत, ऐसा करने से जाँच से उन्हीं आयातों को बाहर कर दिया जाएगा जो घरेलू उद्योग द्वारा की जाने वाली बिक्री से सबसे प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

xi. आयात आँकड़ों की विश्वसनीयता

124. इच्छुक पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आयात आँकड़ों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवर्गीकृत है। प्राधिकारी नोट करता है कि यह आलोचना घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल संकलन से संबंधित है, जिस पर प्राधिकारी ने भरोसा नहीं किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेन-देन-वार आँकड़ों पर भरोसा किया है, जिनकी उसने स्वतंत्र रूप से जाँच की और उन्हें पीयूसी अथवा पहचान योग्य नहीं के रूप में वर्गीकृत किया है। वर्तमान प्रकटीकरण विवरण में दर्शाई गई आयात मात्रा इसी प्रक्रिया से प्राप्त की गई है।

कारणात्मक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक

125. प्राधिकारी निम्नलिखित कारकों को नोट करता है, जो पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करते हैं:
- क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयात पूर्ण मात्रा में बढ़े हैं और जाँच अवधि में उनकी गिरावट उसी समय माँग में हुई गिरावट की तुलना में काफी कम रही। परिणामस्वरूप, जाँच अवधि में वे भारतीय बाजार का ***% हिस्सा रहे।
 - क्षति अवधि में संबद्ध आयातों की उतराई कीमत में 24% की गिरावट आई और जाँच अवधि में यह समान वस्तु के प्रमुख कच्चे माल बेस पेपर की कीमत से भी कम रही।
 - पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में हास किया है और ऐसी मूल्य-वृद्धि को रोका है जो अन्यथा हो सकती थी। घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में हुई वृद्धि की पूरी भरपाई करने के लिए अपनी कीमत पर्याप्त रूप से बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा।
 - घरेलू उद्योग 2023-24 में ₹*** प्रति मीट्रिक टन के लाभ से जाँच अवधि में ₹*** प्रति मीट्रिक टन की हानि की स्थिति में चला गया। उसका नकद लाभ आधे से भी

अधिक घट गया और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई, जबकि इसी अवधि में उसकी वित्तीय लागत घटी और मूल्यहास लागत लगभग स्थिर रही।

- v. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाज़ार हिस्सा ***% से कम और क्षमता उपयोग ***% से कम बना रहा, तथा जांच की अवधि में उसके उत्पादन और लाभप्रदता में गिरावट आई।
- vi. अन्य ज्ञात कारकों की पृथक रूप से जांच करने के पश्चात, प्राधिकारी यह पाते हैं कि ये कारक पाटित संबद्ध आयातों के कारण हुई वास्तविक क्षति का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। पाटित आयातों और वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित होता है।

126. ऊपर उल्लिखित कारणों से, प्राधिकारी ने प्रचालन के प्रारंभिक चरण, वित्तपोषण, उत्पाद खंडीकरण और बाज़ार में स्थिति, मांग में संकुचन, तीसरे देशों से आयातों और आयात आंकड़ों की विश्वसनीयता पर पृथक रूप से विचार किया है। इन कारकों के कारण हुई क्षति का आरोपण पाटित आयातों पर नहीं किया गया है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ज क्षति मार्जिन की मात्रा

127. प्राधिकारी ने संशोधित नियमावली को अनुबंध-III के साथ पढ़ते हुए उसमें निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध वस्तु की क्षति-रहित कीमत जाँच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सूचना और आँकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति-रहित कीमत निर्धारित करने के लिए जाँच अवधि तथा उससे पूर्व के तीन वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, उपयोगिताओं तथा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा गैर-पुनरावर्ती व्यय शामिल न किया जाए। अनुबंध-III के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी, अर्थात् औसत निवल स्थायी परिसंपत्तियाँ तथा औसत कार्यशील पूंजी, पर 22% का युक्तिसंगत कर-पूर्व प्रतिफल क्षति-रहित कीमत निर्धारित करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया है।
128. सहयोगी उत्पादकों के लिए उतराई कीमत उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है, जैसा कि ऊपर संबंधित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। असहयोगी

उत्पादकों और निर्यातकों के लिए उतराई कीमत जाँच अवधि हेतु डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेन-देन-वार आयात आँकड़ों के आधार पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है।

129. प्रत्येक उत्पाद नियंत्रण संख्या के लिए क्षति-रहित कीमत की तुलना उतराई मूल्य से करके क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित पीसीएन-वार मार्जिन को संबंधित उत्पादक के प्रत्येक पीसीएन के अंतर्गत आयात की मात्रा के आधार पर भारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन

उत्पादक	पीसीएन	मात्रा (मीट्रिक टन)	क्षति-रहित कीमत (यूएस\$/मी ट्रिक टन)	उतराई मूल्य (यूएस\$/मी ट्रिक टन)	क्षति मार्जिन (यूएस\$/मी ट्रिक टन)	क्षति मार्जिन (%)	रेंज %
जियांगशी कासावॉल	नॉन- वोवन	***	***	***	***	***	100-110
	पीवीसी	***	***	***	***	***	90-100
	भारित	***	***	***	***	***	90-100
जियांगशी झुओया	नॉन- वोवन	***	***	***	***	***	0-10
	पीवीसी	***	***	***	***	***	70-80
	भारित	***	***	***	***	***	40-50
अन्य सभी		***	***	***	***	***	160-170

130. क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ट प्रभाव आकलन

लोकहित एवं घरेलू उद्योग का हित

ट.1 अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

131. भारतीय उद्योग के हित तथा लोकहित के संबंध में अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- i. घरेलू उद्योग के पास देश की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है और इसलिए उपयोगकर्ता माँग-आपूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए आयातों पर निर्भर हैं। घरेलू उद्योग हाल ही में स्थापित हुआ है और उसकी बाजार हिस्सेदारी कम है। शुल्क लगाए जाने से वास्तविक अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता सीमित हो जाएगी।
- ii. आयातक वस्तु के अंतिम ग्राहक तक पहुँचने से पहले महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन करते हैं। वे उत्पाद डिजाइन, स्वतंत्र डिजाइन स्टूडियो से डिजाइन खरीदने, डिजाइन को प्रिंटिंग सिलेंडरों के लिए तकनीकी आउटपुट में बदलने, कैटलॉग विकसित करने, विपणन सामग्री तैयार करने तथा ग्राहकों तक पहुँच बनाने पर पर्याप्त व्यय करते हैं। अतः वॉलपेपर्स को केवल आयात करके पुनः बेचा नहीं जाता। शुल्क लगाए जाने का प्रभाव आयातकों द्वारा की जाने वाली इस मूल्यवर्धन गतिविधि पर भी पड़ेगा।
- iii. वर्तमान मामले के तथ्य निश्चित पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश को उचित नहीं ठहराते। घरेलू उद्योग ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ के स्तर पर लाभ में है, उसे नकद हानि नहीं हो रही है, नियोजित पूँजी पर प्रतिफल सकारात्मक है तथा कथित रूप से नवोदित अवस्था में होने के बावजूद उसने महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी प्राप्त की है। चूँकि घरेलू उद्योग कथित पाटित आयातों तथा दावा की गई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने में विफल रहा है, इसलिए जाँच समाप्त की जानी चाहिए।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

132. भारतीय उद्योग के हित तथा लोकहित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- i. घरेलू उद्योग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एक सूक्ष्म उद्यम है, जिसने 2022 में पीयूसी का उत्पादन प्रारंभ किया। भारत में पीयूसी का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है और इसकी विनिर्माण सुविधा स्थापित होने से पहले उपयोगकर्ता उद्योग पूरी तरह आयातों पर निर्भर था। “मेक इन इंडिया” पहल के अनुरूप लोकहित में यह है कि आयात-प्रधान बाजार में किसी घरेलू उत्पादक को स्वयं को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- ii. पीयूसी का उपयोग आवासीय तथा वाणिज्यिक भवनों की दीवारों पर सजावटी उद्देश्य से किया जाता है और वॉलपेपर की लागत अंतिम उत्पाद अर्थात् परिसर की कुल लागत का अत्यंत छोटा हिस्सा है। यदि 1,250 वर्ग फुट के आवासीय मकान तथा 2,000 वर्ग फुट के वाणिज्यिक भवन को लिया जाए और पाटनरोधी शुल्क को 100%

तक मान लिया जाए, तो पाँच वर्ष की वॉलपेपर आयु के दौरान इससे होने वाली अतिरिक्त लागत परिसर की कुल लागत का नगण्य हिस्सा होगी। अतः ऐसी धारणा पर भी शुल्क का प्रभाव आसानी से समाहित किया जा सकता है।

- iii. मौखिक सुनवाई के दौरान आयातक एवं उपयोगकर्ता एसोसिएशन ने स्वीकार किया कि पीयूसी लगभग यूएस\$2 पर आयात किया जाता है, जबकि आयातकों और व्यापारियों द्वारा इसे लगभग यूएस\$9 पर बेचा जाता है। डीलरों द्वारा पीयूसी की खुदरा बिक्री ₹1,500 से ₹1,800 प्रति रोल की दर से की जाती है और एक रोल का वजन लगभग एक किलोग्राम होता है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम उपयोगकर्ताओं अथवा घर खरीदारों के लिए खुदरा कीमत प्रभावित नहीं होगी, बल्कि केवल उन व्यापारियों के मार्जिन में कमी आएगी जो वर्तमान में पाटन से लाभ उठा रहे हैं।
- iv. पाटनरोधी शुल्क के अभाव में उपयोगकर्ता उद्योग अधिक लाभ अर्जित करने के लिए पीयूसी के सस्ते आयातों का उपयोग जारी रखेगा, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी। घरेलू उद्योग की रक्षा तथा अन्य विनिर्माताओं को पीयूसी के उत्पादन में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुल्क लगाया जाना आवश्यक है, ताकि भारत आयात-निर्भरता से बाहर आ सके।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

133. प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रमुख उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और समान प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाया जा सके। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य विषय देश से आयातों को रोकना नहीं है; बल्कि समान प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना है। ऐसे उपाय लगाए जाने के बाद भी भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, क्योंकि इनका उद्देश्य पाटन के माध्यम से प्राप्त अनुचित लाभ को रोकना है। अतः पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार में बाधा नहीं, बल्कि निष्पक्ष व्यापार को सुगम बनाने वाला उपाय है।
134. प्राधिकारी ने जाँच प्रारंभ अधिसूचना जारी करते समय आयातकों, उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी इच्छुक पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए थे और सभी हितधारकों को उनके परिचालन पर संभावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव से संबंधित सूचना अभिलेख पर रखने के लिए आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की थी। संबद्ध वस्तु के किसी उपयोगकर्ता ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर अथवा ऐसा कोई आयातक/उपयोगकर्ता प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है जिसमें प्रस्तावित उपाय के उसके परिचालन पर प्रभाव की मात्रा निर्धारित

की गई हो। भाग लेने वाली एसोसिएशन के सदस्यों में से केवल एक आयातक ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है।

135. माँग-आपूर्ति अंतर के संबंध में प्राधिकारी नीचे दी गई स्थिति नोट करता है:

माँग एवं आपूर्ति (जाँच अवधि)

विवरण	इकाई	मात्रा
भारत में माँग	मीट्रिक टन	***
भारतीय क्षमता	मीट्रिक टन	***
माँग-आपूर्ति अंतर	मीट्रिक टन	***
संबद्ध आयात	मीट्रिक टन	3,930.88

136. प्राधिकारी नोट करता है कि भारत में लगभग *** मीट्रिक टन का माँग-आपूर्ति अंतर विद्यमान है। तथापि, जाँच अवधि में संबद्ध आयात 3,930.88 मीट्रिक टन थे, जो इस अंतर के दोगुने से भी अधिक थे, जबकि घरेलू उद्योग केवल ***% क्षमता उपयोग पर परिचालन कर रहा था। माँग-आपूर्ति अंतर का अस्तित्व पाटन को उचित नहीं ठहराता और न ही घरेलू उद्योग को उपचार माँगने से रोकता है। ऐसी स्थिति में जहाँ आपूर्ति का अंतर मौजूद हो और साथ ही घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत भी वसूल न कर पा रहा हो, ऐसी परिस्थितियों की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट होती है जिनमें घरेलू क्षमता तथा भविष्य का निवेश उचित कीमत वाले आयातों के साथ विकसित हो सकें।
137. आयातकों द्वारा डिजाइन, कैटलॉग विकास तथा बाजार विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन किए जाने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क आयातित वस्तु पर आयात के समय लगाया जाता है और आयात के बाद की जाने वाली किसी गतिविधि पर लागू नहीं होता। आयात के बाद आयातक द्वारा किया गया मूल्यवर्धन उसके द्वारा प्राप्त पुनर्विक्रय कीमत में परिलक्षित होता है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री आयात कीमत तथा पुनर्विक्रय कीमत के बीच पर्याप्त मार्जिन दर्शाती है। सिफारिश किया गया उपाय केवल पाटन के क्षतिकारक प्रभाव को दूर करने तक सीमित है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस मूल्यवर्धन गतिविधि की व्यवहार्यता को खतरे में नहीं डालता।
138. डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद आवासीय एवं वाणिज्यिक परिसरों में लगाया जाने वाला सजावटी दीवार आवरण है। यह किसी विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त मध्यवर्ती इनपुट नहीं है और इसकी लागत उस परिसर की कुल लागत का छोटा हिस्सा है जहाँ इसे लगाया जाता है। किसी भी उपयोगकर्ता ने

प्रतिकूल प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने वाली कोई सूचना अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है। प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध उस सामग्री को भी नोट करता है जो लगभग ₹173 प्रति किलोग्राम की उतराई कीमत तथा भारत में प्रचलित खुदरा कीमत के बीच पर्याप्त अंतर दर्शाती है। इससे संकेत मिलता है कि प्रस्तावित उपाय का प्रारंभिक प्रभाव अंतिम उपभोक्ता के बजाय वितरण मार्जिन पर पड़ेगा।

139. प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और एक सूक्ष्म उद्यम है। ऊपर स्थापित परिस्थितियों में उपाय न लगाए जाने से भारतीय बाजार एक ही विदेशी आपूर्ति स्रोत पर पूरी तरह निर्भर रह जाएगा। उपयोगकर्ताओं के हित में यह है कि उचित कीमत वाले आयातों के साथ एक प्रतिस्पर्धी घरेलू आपूर्ति स्रोत भी उपलब्ध रहे।
140. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी को ऐसा नहीं लगता कि पाटनरोधी उपाय लगाना लोकहित के विरुद्ध होगा। सुधारित कमतर शुल्क राशि के आधार पर अंतिम उपयोगकर्ता पर परिमाणित प्रभाव नीचे दिया गया है।

अंतिम उपयोगकर्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिमाणीकरण

141. अंतिम उपयोगकर्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिमाणीकरण, कीमतों तथा उपभोक्ता कल्याण पर उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रासंगिक है। विचाराधीन उत्पाद के उपयोग की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इसके प्रभाव का परिमाणीकरण एक प्रतिनिधि आवासीय भवन तथा एक प्रतिनिधि वाणिज्यिक परिसर के लिए किया गया है। इस उद्देश्य के लिए प्राधिकारी ने उत्पादक-विशिष्ट पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन की गणना से प्राप्त अधिकतम लागू कमतर शुल्क राशि को अपनाया है, अर्थात् असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए यूएस\$*** प्रति मीट्रिक टन, जो जाँच अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर पर ₹*** प्रति किलोग्राम के बराबर है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आवासीय भवन (1,250 वर्ग फुट)	वाणिज्यिक परिसर (2,000 वर्ग फुट)
1	परिसर की कुल लागत	₹	1,00,00,000	2,00,00,000
2	वॉलपेपर से कवर किया गया क्षेत्र	वर्ग फुट	750	900
3	आवश्यक रोल	संख्या	15	40
4	प्रति रोल वजन	किलोग्राम	1.20	1.20
5	वॉलपेपर का कुल वजन	किलोग्राम	18.00	48.00

6	संबद्ध आयातों की उतराई कीमत	₹/किलोग्राम	172.55	172.55
7	उदाहरणार्थ पाटनरोधी शुल्क	₹/किलोग्राम	268.55	268.55
8	शुल्क के कारण लागत में वृद्धि	₹	4,834	12,890
9	परिसर की कुल लागत पर प्रभाव	%	0.04	0.06
10	वॉलपेपर की उपयोगी आयु	वर्ष	5	5
11	वॉलपेपर की उपयोगी आयु के दौरान वार्षिकीकृत प्रभाव	%	0.01	0.01

142. यह इसके परिणामस्वरूप आवासीय उदाहरण में लगभग 4,702 रु. और वाणिज्यिक उदाहरण में लगभग 12,538 रु. की वृद्धि होती है, जो उल्लिखित संपत्ति लागतों का क्रमशः लगभग 0.047% और 0.063% है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, यह अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई असंगत भार नहीं है।

ठ प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियाँ

143. प्रकटन विवरण पर घरेलू उद्योग तथा भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों, अर्थात् जियांगशी कासावॉल इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, जियांगशी झुओया इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, एक्सेल होम डेकोर प्राइवेट लिमिटेड और ऑल इंडिया वॉलपेपर कवरिंग एसोसिएशन से टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियाँ

विचाराधीन उत्पाद और अपवर्जन के अनुरोध

144. प्रतिवादी पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा अत्यधिक व्यापक है और अपवर्जन तथा पीसीएन पद्धति के संबंध में उनके पूर्व अनुरोधों पर दायरा अंतिम करने से पहले पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। उन्होंने फॉइल की परत वाले पीवीसी तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स, 70 सेमी और 106 सेमी चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स, 250 जीएसएम से अधिक वाले वॉलपेपर्स तथा स्क्रीन-प्रिंटेड वॉलपेपर्स को दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया

है। उनका कहना है कि फॉइल की परत वाले वॉलपेपर्स की विशेषताएँ, विनिर्माण प्रक्रिया, उपयोग, लागत और कीमत भिन्न हैं तथा घरेलू उद्योग ने इनके वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री को स्थापित नहीं किया है।

145. हितबद्ध पक्षकारों ने अधिक चौड़ाई वाले वॉलपेपर्स को बाहर रखने का अनुरोध करते हुए कहा है कि 70 सेमी अथवा 106 सेमी चौड़ाई वाले रोल को कम चौड़ाई में काटने से उनका डिजाइन बिगड़ जाएगा और इन चौड़ाइयों का उपयोग विशिष्ट वाणिज्यिक तथा आतिथ्य-संबंधी कार्यों में किया जाता है। उनके अनुसार, घरेलू उद्योग ने 70 सेमी वाले वॉलपेपर्स की बिक्री नहीं दर्शाई है और न ही 106 सेमी वाले वॉलपेपर्स के उत्पादन की क्षमता स्थापित की है। उन्होंने डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों से ऐसे आयातों का सत्यापन करने का अनुरोध किया है तथा तर्क दिया है कि केवल आयात दर्ज न होने के कारण अपवर्जन का अनुरोध अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय पर भरोसा करते हुए अंतिम उपयोग के आधार पर अपवर्जन का अनुरोध किया है।
146. 250 जीएसएम से अधिक वाले तथा स्क्रीन-प्रिंटेड वॉलपेपर्स के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि केवल कच्चे माल की खरीद अथवा मशीनरी की उपलब्धता से वाणिज्यिक उत्पादन स्थापित नहीं होता। उन्होंने 300 जीएसएम वॉलपेपर्स के वास्तविक उत्पादन और बिक्री का सत्यापन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि स्क्रीन-प्रिंटेड वॉलपेपर्स की विनिर्माण प्रक्रिया, डिजाइन, लागत तथा बाजार खंड अलग हैं और इसलिए इन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाए।

घरेलू उद्योग, पात्रता, गोपनीयता, आधार वर्ष और आयात संबंधी आँकड़े

147. घरेलू उद्योग, उसकी पात्रता अथवा गोपनीयता के संबंध में कोई और आपत्ति नहीं उठाई गई है। प्रतिवादी पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग ने केवल तीन माह कार्य किया था। इसलिए बाद के वर्षों के साथ उचित तुलना सुनिश्चित करने हेतु वार्षिकीकृत आँकड़ों पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने प्राधिकारी से यह भी स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि डीजी सिस्टम्स के आयात आँकड़ों की जाँच किस प्रकार की गई, जिसमें विचार किए गए लेन-देन की संख्या, विचाराधीन उत्पाद तथा गैर-विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पहचान, मात्रा की विभिन्न इकाइयों का रूपांतरण और बाहर रखे गए अथवा अस्पष्ट लेन-देन का व्यवहार शामिल है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग का अपना विश्लेषण केवल 86.42% लेन-देन तक सीमित था और प्रकटन विवरण में आयात

मात्राएँ चार संबंधित अवधियों में निजी स्रोतों के आँकड़ों से क्रमशः लगभग 14%, 5%, 2% और 7% भिन्न थीं।

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, क्षतिरहित कीमत और शुल्क का स्वरूप

148. यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग प्रमुख आगतों का आयात करता है और इस कारण भाड़ा, हैंडलिंग, अस्वीकृत सामग्री तथा खरीद-स्रोत से संबंधित अन्य लागतें वहन करता है, जिन पर प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करते समय विचार किया जाना चाहिए। आयातकों द्वारा आयात के बाद डिजाइन, कैटलॉग, विपणन तथा बाजार-विकास पर भी व्यय किए जाने की बात कही गई है। इन व्ययों के लिए पहुँच मूल्य/निर्यात कीमत में समायोजन अथवा घरेलू उद्योग की लागत और क्षतिरहित कीमत से समतुल्य व्ययों के अपवर्जन का अनुरोध किया गया है। प्रतिवादी पक्षकारों ने पीवीसी और नॉन-वोवन वॉलपेपर्स के लिए पृथक संदर्भ-कीमत आधारित शुल्क का भी अनुरोध किया है।

क्षति, वास्तविक मंदन का दावा और खंडीकरण

149. प्रतिवादी पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि वास्तविक क्षति और उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा क्षति के अलग-अलग स्वरूप हैं तथा एक ही उद्योग पर दोनों को एक साथ लागू नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, घरेलू उद्योग ने जनवरी 2022 में उत्पादन शुरू किया था और तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है; अतः उसे अब नया उद्योग नहीं माना जाना चाहिए। तथापि, यदि स्थापना में वास्तविक बाधा की जाँच की जाती है, तो उन्होंने अनुरोध किया है कि स्थिर लागतों और स्थिर परिसंपत्तियों का आवंटन वास्तविक कम उत्पादन स्तर के स्थान पर 100% क्षमता उपयोग अथवा परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित उच्चतम क्षमता उपयोग के आधार पर किया जाए। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि वॉलपेपर बाजार में कीमत-संवेदनशील और उत्पाद-संवेदनशील पृथक खंड हैं। तदनुसार, उन्होंने ₹300 प्रति किग्रा से अधिक कीमत वाले आयातों को बाहर रखने अथवा वैकल्पिक रूप से केवल ₹300 प्रति किग्रा से कम कीमत वाले आयातों पर शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

मात्रा, कीमत और आर्थिक मानदंड

150. यह प्रस्तुत किया गया है कि जाँच अवधि में संबद्ध आयात घटे, जबकि घरेलू उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बढ़ी तथा माँग में कमी आई। क्षमता अपरिवर्तित रही, क्षमता उपयोग आधार वर्ष से अधिक रहा और बिक्री मात्रा आधार वर्ष की लगभग दोगुनी थी। इसलिए प्रतिवादी पक्षकार मात्रा संबंधी क्षति का विरोध करते हैं। उन्होंने कीमत हास अथवा कीमत दमन से भी इनकार किया है। उनका कहना है कि आयातों के पहुँच मूल्य घटने के बावजूद

घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बढ़ी, लागत के अनुरूप चली और पूरी क्षति अवधि तथा जाँच अवधि में बिक्री लागत से ऊपर रही।

151. प्रतिवादी पक्षकारों ने सकारात्मक पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) पर भी भरोसा किया है तथा प्रस्तुत किया है कि कर-पूर्व हानि पर वित्त लागत, मूल्यहास और भंडार समायोजन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनके अनुसार, परियोजना रिपोर्ट के अनुमान व्यावसायिक धारणाएँ हैं, सुनिश्चित परिणाम नहीं। उन्होंने राजस्व में दस गुने से अधिक वृद्धि, पिछले दो वर्षों में लगभग ₹7.2 करोड़ के कारोबार और सामग्री खपत की कम लागत पर भी भरोसा किया है। उनका कहना है कि प्रदर्शन में कोई कमी पाटित आयातों के बजाय व्यावसायिक धारणाओं, ग्राहक वरीयताओं, बाजार परिस्थितियों, वित्तपोषण अथवा परिचालन संबंधी कारणों से भी उत्पन्न हो सकती है।

कारणात्मक संबंध और लोकहित

152. प्रतिवादी पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग मुख्यतः उत्पाद-संवेदनशील खंड में अधिक कीमत वाले वॉलपेपर्स बेचता है, जबकि आयात अपेक्षाकृत कम कीमत वाले कीमत-संवेदनशील खंड में केंद्रित हैं। अतः उनके अनुसार, घरेलू और आयातित उत्पादों की कीमतों की तुलना समान आधार पर नहीं की गई है। उन्होंने यह भी इंगित किया है कि घरेलू उद्योग ने बताया था कि आदेश न होने और पहले से अतिरिक्त भंडार रहने के कारण उसने उत्पादन बंद किया था। उनका यह भी कहना है कि घरेलू उद्योग ने आयातों के कारण कथित रूप से खोए गए अनुबंधों के विशिष्ट विवरण नहीं दिए हैं। प्रतिवादी पक्षकारों के अनुसार, घरेलू उद्योग की कीमत संरचना, उत्पाद श्रृंखला, बाजार स्थिति, वित्त लागत तथा नया उत्पादक होने से जुड़ी कठिनाइयाँ भी उसके कमजोर प्रदर्शन का कारण हो सकती हैं। इसलिए उनके अनुसार, क्षति का आरोपण पाटित आयातों पर नहीं किया जा सकता। लोकहित के संबंध में प्रस्तुत किया गया है कि व्यापार उपचार निष्क्रिय क्षमता अथवा व्यावसायिक सीमाओं की क्षतिपूर्ति का साधन नहीं होना चाहिए और सभी हितधारकों पर विचार किया जाना चाहिए। प्रतिवादी पक्षकारों ने आयात एवं वितरण तंत्र में रोजगार का उल्लेख किया है, जो उनके अनुसार एकमात्र घरेलू उत्पादक के रोजगार से अधिक है। उन्होंने संभावित व्यावसायिक व्यवधान और भंडार हानि, मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं तथा छोटे व्यवसायों के लिए अधिक कीमतें और डिजाइन विकल्पों में कमी का भी उल्लेख किया है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि संपत्ति के कुल मूल्य से तुलना करने के बजाय वॉलपेपर की लागत में प्रत्यक्ष वृद्धि अधिक प्रासंगिक है तथा प्रकटन में दर्शाया गया उपभोक्ता-प्रभाव विश्लेषण भार को कम करके

दर्शाता है। इसलिए उन्होंने पाटन, क्षति, स्थापना में वास्तविक बाधा और कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष अस्वीकार करके जाँच समाप्त करने का अनुरोध किया है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियाँ

प्रकटन विवरण के निष्कर्षों की पुष्टि का अनुरोध

153. घरेलू उद्योग ने उत्पाद दायरे तथा समान वस्तु, घरेलू उद्योग और पात्रता, गोपनीयता, विविध मुद्दों, क्षति एवं कारणात्मक संबंध, गैर-आरोपण तथा प्रभाव आकलन पर प्रकटन विवरण में दर्ज निष्कर्षों की पुष्टि करने का अनुरोध किया है।

जियांगशी झुओया के क्षति मार्जिन, निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य का पुनः सत्यापन

154. घरेलू उद्योग ने जियांगशी झुओया के लिए निर्धारित तुलनात्मक रूप से कम क्षति मार्जिन पर विशेष रूप से प्रश्न उठाया है। उसने बाजार-स्रोत के उन आँकड़ों पर भरोसा किया है जिनमें झुओया की औसत सीआईएफ कीमत लगभग 1.98 अमेरिकी डॉलर/किग्रा तथा कासावॉल की लगभग 2.81 अमेरिकी डॉलर/किग्रा दर्शाई गई है। उसका कहना है कि सामान्यतः कम कीमत वाले निर्यातक का क्षति मार्जिन अधिक होने की अपेक्षा होगी। इसलिए उसने झुओया की मात्रा, सीआईएफ कीमत, पहुँच मूल्य, डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों से मिलान तथा प्रति रोल भार के रूपांतरण का पुनः सत्यापन करने का अनुरोध किया है। उसने यह भी प्रस्तुत किया है कि प्रकटन में दर्शाए गए लगभग 45% क्षति मार्जिन को जोड़ने के बाद भी परिणामी कीमत उसकी बताई गई क्षतिरहित कीमत, लगभग ₹488/किग्रा अथवा 5.7 अमेरिकी डॉलर/किग्रा, से कम रहेगी।

प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क की पर्याप्तता और प्रभावशीलता

155. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि अंतिम शुल्क कीमत संबंधी क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए और यदि महत्वपूर्ण मात्रा में आयात उसके कच्चे माल की लागत तथा क्षतिरहित कीमत से नीचे की कीमतों पर आते रह सकते हैं, तो शुल्क संरचना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

सहयोगी निर्यातकों के बीच संबंध और शुल्क से बचाव रोकने के उपाय

156. घरेलू उद्योग ने जियांगशी कासावॉल और जियांगशी झुओया के बीच किसी संबंध अथवा साझा नियंत्रण का सत्यापन करने का भी अनुरोध किया है। उसने कम शुल्क वाली इकाई के माध्यम से निर्यात किए जाने की संभावना इंगित की है। शुल्क से बचने की रोकथाम के लिए उसने

आयातक की घोषणा के साथ पोतलदान दस्तावेजों पर उत्पादक का नाम घोषित और सत्यापित करने की शर्त लगाने का अनुरोध किया है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

विचाराधीन उत्पाद और अपवर्जन संबंधी अनुरोध

157. प्रतिवादी पक्षकारों को उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर, मौखिक सुनवाई के बाद भी, टिप्पणियाँ देने का पर्याप्त अवसर मिला था। उनके अनुरोध अभिलेख पर लिए गए और उन पर विचार किया गया। फॉइल की परत वाले वॉलपेपर के संबंध में अभिलेख पर बिक्री दस्तावेज, उत्पाद संबंधी सामग्री तथा फॉइल की खरीद के अभिलेख उपलब्ध हैं, जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन दर्शाते हैं। फॉइल की परत से वॉलपेपर की मूल प्रकृति, कार्य अथवा अंतिम उपयोग नहीं बदलता। अतः अपवर्जन का अनुरोध अस्वीकार किया जाना यथावत है।
158. 70 सेमी और 106 सेमी वाले वॉलपेपर्स के संबंध में चौड़ाई उसी उत्पाद का एक आयामी अंतर है। प्रतिवादी पक्षकार संरचना, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य, अंतिम उपयोग, वितरण अथवा टैरिफ वर्गीकरण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दर्शा सके हैं। किसी विशेष चौड़ाई के आयामों की मात्रा का अभाव निर्णय का एकमात्र आधार नहीं है; यह अनुरोध समान वस्तु संबंधी जाँच के आधार पर स्वीकार्य नहीं है। प्रस्तावित अंतिम उपयोग की शर्त भी उचित नहीं पाई गई है। अतः अपवर्जन का अनुरोध अस्वीकार किया जाना यथावत है।
159. 250 जीएसएम से अधिक वाले वॉलपेपर्स के संबंध में सब्सट्रेट का अधिक भार अपने आप में अलग वस्तु नहीं बनाता। स्क्रीन-प्रिंटेड वॉलपेपर के संबंध में स्क्रीन प्रिंटिंग उसी पीवीसी अथवा नॉन-वोवन सब्सट्रेट पर अपनाई जाने वाली एक वैकल्पिक मुद्रण तकनीक है। अभिलेख पर अलग कार्य अथवा अंतिम उपयोग स्थापित नहीं हुआ है। अतः ये अपवर्जन अनुरोध अस्वीकार किए जाते हैं।

घरेलू उद्योग, पात्रता और गोपनीयता

160. प्रकटन के बाद अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे घरेलू उद्योग, पात्रता अथवा गोपनीयता संबंधी निष्कर्षों में परिवर्तन आवश्यक हो। एक्सिमस वॉलपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड समान वस्तु का एकमात्र भारतीय उत्पादक बना हुआ है और नियम 2(ख) तथा 5(3) की आवश्यकताएँ पूरी करता है। गोपनीयता संबंधी निष्कर्षों की भी पुष्टि की जाती है।

आधार वर्ष और डीजी सिस्टम्स के आयात संबंधी आँकड़े

161. प्राधिकारी नोट करता है कि वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग का परिचालन केवल तीन माह का था। इसलिए अंतिम जाँच परिणामों में वास्तविक रूप से रिपोर्ट किए गए आँकड़ों पर भरोसा किया गया है और आधार वर्ष के अपूर्ण होने को स्पष्ट रूप से नोट किया गया है। प्राधिकारी ने बाद के वर्षों तथा जाँच अवधि की प्रवृत्तियों पर भी विचार किया है, ताकि क्षति संबंधी निष्कर्ष केवल आधार वर्ष के सूचकांक पर आधारित न हो।
162. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आयात आँकड़ों की स्वतंत्र रूप से जाँच की है और घरेलू उद्योग के निजी स्रोतों के आँकड़ों पर भरोसा नहीं किया है। विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत आने वाले आयातों की मात्रा और कीमत निर्धारित करने के लिए प्रत्येक लेन-देन के उत्पाद विवरण, मात्रा, इकाई और मूल्य की जाँच की गई। यद्यपि निजी स्रोतों में दर्शाई गई आयात मात्राएँ डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों से मोटे तौर पर मिलती हैं, तथापि प्राधिकारी ने अपने विश्लेषण में आधिकारिक आँकड़ों पर भरोसा किया है। प्रासंगिक समग्र आयात आँकड़ों का प्रकटन किया गया है, ताकि हितबद्ध पक्षकार उनकी जाँच कर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकें।

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, क्षतिरहित कीमत और शुल्क का स्वरूप

163. घरेलू उद्योग की आगतों की खरीद की वास्तविक लागत, जिसमें भाड़ा तथा उन्हें विनिर्माण स्थल तक पहुँचाने के लिए आवश्यक अन्य लागतें शामिल हैं, उसकी सत्यापित लागत का भाग है। केवल इस कारण कि आगतों का आयात किया जाता है, इन लागतों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए इस आधार पर समायोजन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।
164. आयात के बाद आयातकों द्वारा वहन किए गए डिजाइन, कैटलॉग, विपणन और बाजार-विकास के व्यय आयातित वस्तु की कारखाना-द्वार निर्यात कीमत अथवा पहुँच मूल्य का भाग नहीं हैं। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग की सत्यापित लागत के आधार पर नियमावली के अनुसार किया गया है। प्रस्तावित समायोजन अथवा अपवर्जन का कोई आधार स्थापित नहीं हुआ है।
165. संदर्भ-कीमत आधारित शुल्क का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता। जाँच में उत्पादक-विशिष्ट पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए हैं। प्राधिकारी वर्तमान परिस्थितियों में पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन की कमतर राशि के आधार पर अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के रूप में निश्चित विशिष्ट शुल्क को उपाय का उचित स्वरूप मानता है।

वास्तविक क्षति, वास्तविक मंदन का दावा और नियत लागत का आबंटन

166. प्रतिवादियों ने यह अनुरोध किया है कि इस घरेलू उद्योग के लिए वास्तविक क्षति और वास्तविक मंदन, दोनों की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए। प्राधिकारी ने प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों के आलोक में इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया है। घरेलू उद्योग ने जनवरी, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया था और जांच की अवधि की समाप्ति तक लगभग 39 माह का प्रचालन पूरा कर लिया था। अतः उसके वास्तविक कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन नियम 11 और अनुबंध II के अंतर्गत वास्तविक क्षति के मापदंडों के माध्यम से किया जा सकता है। यद्यपि प्रकटन विवरण में परियोजना अनुमानों की तुलना में कमी की भी जांच की गई थी, तथापि ये अनुमान नियोजित परिणाम हैं और अपने आप में वास्तविक मंदन का पृथक निष्कर्ष स्थापित नहीं करते हैं। प्राधिकारी प्रतिवादियों की आपत्ति को इस सीमा तक स्वीकार करते हैं कि इस मामले में अंतिम निर्धारण स्थापित वास्तविक क्षति पर आधारित होना चाहिए, और यह पाते हैं कि वास्तविक मंदन का पृथक दावा स्थापित नहीं होता है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। इससे सत्यापित तथ्यों पर आधारित वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्ष में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
167. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण अनुबंध III के अंतर्गत सत्यापित लागतों और तर्कसंगत एवं इष्टतम उपयोग के निर्धारित आधार का प्रयोग करते हुए किया गया है। वास्तविक मंदन का पृथक निष्कर्ष दर्ज न करने के निर्णय के कारण प्राधिकारी के लिए नियत लागतों के आबंटन हेतु 100% क्षमता उपयोग अथवा परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित उच्चतम स्तर की पूर्वधारणा करना अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसे आबंटन के लिए प्रतिवादियों का वैकल्पिक अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है।

उत्पाद खंडीकरण और प्रस्तावित कीमत सीमा

168. माँग के कीमत-संवेदनशील और उत्पाद-संवेदनशील खंडों का अंतर विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत अलग-अलग उत्पाद नहीं बनाता। घरेलू तथा आयातित वस्तुएँ समान वस्तुएँ बनी रहती हैं और एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा करती हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा उसकी उत्पाद विशेषताओं के आधार पर की जाती है, न कि कीमत के आधार पर। ₹300 प्रति किग्रा से अधिक कीमत वाले वॉलपेपर्स को बाहर रखने अथवा केवल इससे कम कीमत वाले आयातों पर शुल्क लगाने से जाँच का दायरा अथवा शुल्क, उत्पाद की परिभाषा के स्थान पर आयात कीमत पर निर्भर हो जाएगा। इसलिए प्रतिवादी पक्षकारों का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

मात्रा प्रभाव, कीमत प्रभाव और आर्थिक मानदंड

169. प्राधिकारी नोट करता है कि यद्यपि जाँच अवधि में संबद्ध आयात घटे, तथापि वे उच्च स्तर पर बने रहे और भारतीय माँग में उनका हिस्सा महत्वपूर्ण रहा। घरेलू उद्योग की बिक्री तथा बाजार हिस्सेदारी अत्यंत कम आधार से बढ़ी, किंतु उत्पादन और क्षमता उपयोग बहुत कम रहे। बिक्री कीमत में वृद्धि से भी प्रतिकूल कीमत प्रभाव का अभाव स्थापित नहीं होता, क्योंकि आयात कीमतें घरेलू बिक्री कीमत तथा क्षतिरहित कीमत से काफी नीचे बनी रहीं। प्राधिकारी ने आयात मात्रा, बिक्री लागत, बिक्री कीमत और पहुँच मूल्य का एक साथ परीक्षण किया है और पाया है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होती रही।
170. प्राधिकारी ने सभी संगत आर्थिक और वित्तीय मापदंडों की जांच की है। कुछ अवधियों में सकारात्मक पीबीआईटी, नकद लाभ अथवा नियोजित पूंजी पर आय, और निम्न आधार से राजस्व में वृद्धि, अपने आप में क्षति की अनुपस्थिति को स्थापित नहीं करते हैं। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को अत्यंत निम्न क्षमता उपयोग, सीमित बिक्री और कर-पूर्व हानि का सामना करना पड़ा। वित्तीय लागत, मूल्यहास, सामग्री लागत और मालसूची में संचलन पर भी विचार किया गया है। परियोजना रिपोर्ट के आंकड़ों को केवल प्रचालन के नियोजित पैमाने की पृष्ठभूमि के रूप में माना गया है, न कि वास्तविक मंदन के पृथक निष्कर्ष के आधार के रूप में। यह निर्धारण सत्यापित वास्तविक क्षति विश्लेषण पर आधारित है।

कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण

171. कीमत-संवेदनशील और उत्पाद-संवेदनशील खंड घरेलू तथा आयातित समान वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त नहीं करते। विचाराधीन उत्पाद के लिए कीमत तुलना और क्षति विश्लेषण किए गए हैं तथा जहाँ प्रासंगिक था, वहाँ पीसीएन-वार आधार पर भी जाँच की गई है। इसलिए खंडीकरण संबंधी प्रतिवादी पक्षकारों का तर्क यह स्थापित नहीं करता कि कीमत प्रभाव पाटित आयातों से असंबंधित है।
172. प्राधिकारी ने उत्पादन बंद होने, अतिरिक्त भंडार, कथित रूप से अनुबंध खोने, वित्तपोषण, ग्राहक वरीयताओं तथा अन्य परिचालन कारणों संबंधी अनुरोधों पर विचार किया है। आदेशों के अभाव में उत्पादन बंद होना घरेलू उद्योग के उत्पादों की कमजोर माँग को दर्शाता है, लेकिन अपने आप में क्षति का अलग कारण स्थापित नहीं करता। कथित रूप से अनुबंध खोने को निर्णायक आधार नहीं माना गया है। प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य कारण महत्वपूर्ण कीमत कटौती, अत्यंत कम क्षमता उपयोग तथा घरेलू उद्योग के कमजोर प्रदर्शन की पर्याप्त व्याख्या नहीं करते। इसलिए पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित बना हुआ है।

लोकहित

173. प्राधिकारी नोट करता है कि शुल्क का आधार माँग-आपूर्ति का अंतर नहीं है और इसके लगने से आयातों की निरंतर उपलब्धता प्रतिबंधित नहीं होगी। उसने घरेलू उत्पादकों, आयातकों, डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों पर विचार किया है। यद्यपि शुल्क से आयातित वॉलपेपर्स की लागत बढ़ेगी, किसी प्रयोक्ता ने आर्थिक हित प्रश्नावली के माध्यम से असंगत रूप से अधिक प्रतिकूल प्रभाव स्थापित नहीं किया है। प्रभाव आकलन उदाहरणात्मक है और केवल संपत्ति के मूल्य पर आधारित नहीं है। निश्चित कमतर शुल्क राशियों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए प्राधिकारी प्रस्तावित शुल्क को लोकहित के विरुद्ध नहीं पाता।

जियांगशी झुओया का पुनः सत्यापन और मात्राओं का संशोधन

174. प्राधिकारी ने निर्यातक के लेन-देन-वार उत्तर, सहायक अभिलेखों और डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों के आधार पर जियांगशी झुओया के संबंध में घरेलू उद्योग की आपत्तियों की जाँच की है। पीसीएन-वार मात्राओं, निर्यात मूल्य, लैंडेड मूल्य और भारित मार्जिन की जाँच की गई है तथा उन्हें अंतर्निहित गणनाओं के साथ मिलान किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए निजी स्रोतों के आँकड़े सत्यापित लेन-देन से मेल नहीं खाते और इसलिए सत्यापित आँकड़ों का स्थान नहीं ले सकते। इन्हीं सत्यापित आँकड़ों के आधार पर सहयोगी उत्पादक-निर्यातक के पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए हैं।

सहयोगी उत्पादकों के बीच संबंध और उत्पादक की पहचान

175. यह आरोप कि जियांगशी कासावॉल और जियांगशी झुओया का स्वामित्व अथवा प्रबंधन साझा हो सकता है, बाजार-संबंधी सूचना पर आधारित है। साझा नियंत्रण अथवा साझा बिक्री माध्यम स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य इसके समर्थन में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। सत्यापित अभिलेख स्वयं निर्मित वस्तुओं के असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को उत्पादक-विशिष्ट निर्यात दर्शाते हैं। इसलिए पृथक उत्पादक-विशिष्ट दरें बनाए रखी गई हैं।
176. उत्पादक-विशिष्ट दरों के सही अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत शुल्क तभी लागू होगा जब सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष निर्धारित उत्पादक घोषणा वाला वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किया जाए। ऐसे दस्तावेज न होने पर अन्य उत्पादकों पर लागू अवशिष्ट शुल्क लगाया जाएगा।

ड निष्कर्ष

177. प्राधिकारी के समक्ष उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, की गई प्रस्तुतियों और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा इन अंतिम जाँच परिणामों में दर्ज विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:

- i. विचाराधीन उत्पाद वॉलपेपर्स हैं, जो चीन जनवादी गणराज्य में उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) वॉलपेपर्स तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स तक सीमित हैं। डिजिटल कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, नेचुरल वॉलपेपर और फैब्रिक-बैकड वॉलपेपर इसके दायरे से बाहर हैं।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ में संबद्ध वस्तुओं की समान वस्तु है।
- iii. एक्सिमस वॉलपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड समान वस्तु का एकमात्र भारतीय उत्पादक है, नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करता है और नियम 5(3) के अंतर्गत पात्रता की आवश्यकता पूरी करता है।
- iv. संबद्ध वस्तुएँ चीन जनवादी गणराज्य से सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर भारत को निर्यात की गई हैं। जियांगशी कासावॉल इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड तथा जियांगशी झुओया इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड के लिए निर्धारित भारित औसत पाटन मार्जिन सकारात्मक हैं। असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अवशिष्ट पाटन मार्जिन भी सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- v. जाँच अवधि में भारतीय माँग में संबद्ध आयातों का हिस्सा लगभग 90% था। घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद की कुल माँग का लगभग ***% हिस्सा था और उसका क्षमता उपयोग लगभग ***% था।
- vi. जाँच अवधि में उसका उत्पादन घटा, उत्पादन की तुलना में भंडार उच्च रहा और प्रति मीट्रिक टन लाभ वर्ष 2023-24 में ₹*** के लाभ से घटकर जाँच अवधि में ₹*** की हानि हो गया।
- vii. घरेलू उद्योग ने क्षमता उपयोग के अत्यंत निम्न स्तर पर प्रचालन किया, उसके उत्पादन में गिरावट आई और जांच की अवधि में वह कर-पूर्व हानि की स्थिति में पहुंच गया। यद्यपि वास्तविक कार्यनिष्पादन परियोजना अनुमानों से कम था, तथापि इन अनुमानों पर केवल संदर्भगत सूचना के रूप में विचार किया गया है। सत्यापित क्षति मापदंडों के आधार पर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। वास्तविक मंदन का दावा स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होता है और इसे स्वीकार नहीं किया जाता है।

- viii. चीन जन.गण. से पाटित आयातों की मात्रा, बाज़ार हिस्से और कीमत ने घरेलू उद्योग की उत्पादन बढ़ाने, क्षमता का उपयोग करने और अपनी लागतों की वसूली करने की क्षमता को वास्तविक रूप से प्रभावित किया है।
- ix. प्राधिकारी ने क्षति के अन्य संभावित कारणों की पृथक रूप से जांच की है, जिनमें मांग, गैर-संबद्ध आयात, वित्तपोषण, प्रारंभिक चरण की परिस्थितियां और उत्पाद की स्थिति शामिल हैं। इन कारकों के कारण हुई क्षति का आरोपण पाटित आयातों पर नहीं किया गया है। प्राधिकारी पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध पाते हैं।
- x. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह स्थापित नहीं करते कि उचित रूप से निर्धारित पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयातकों, प्रयोक्ताओं अथवा उपभोक्ताओं पर असंगत रूप से अधिक भार पड़ेगा। आयात उपलब्ध रहेंगे और उच्चतम अनुशंसित कमतर शुल्क राशि का मात्रात्मक उदाहरणात्मक उपभोक्ता प्रभाव सीमित है। प्राधिकारी इसलिए पाता है कि यह उपाय लागू करना लोकहित के विरुद्ध नहीं है।
- xi. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध वस्तु का भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है, ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, और पाटन के कारण हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक है।

ढ सिफारिशें

- 178. प्राधिकारी नोट करता है कि जाँच प्रारंभ की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं, एसोसिएशन तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और लोकहित पर सूचना प्रस्तुत करने और अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया। प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों पर भी विचार किया है।
- 179. प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों, अर्थात् जियांगशी कासावॉल इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड और जियांगशी झुओया इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यात की गई संबद्ध वस्तुएँ पाटित हैं और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुँचा रही हैं। अतः प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर राशि के बराबर अंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना आवश्यक मानता है। शुल्क को यूएस\$/एमटी में एक निश्चित विशिष्ट शुल्क के रूप में अनुशंसित किया गया है।

180. तदनुसार, प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य में उद्गमित अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। शुल्क केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा और विधि के अनुसार उससे पहले निरस्त, अधिक्रमित अथवा संशोधित न किए जाने की स्थिति में पाँच वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूल देश	निर्यात देश	उत्पादक	निश्चित शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4814 20 00 तथा 4814 90 00	वॉलपेपर्स *	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगशी कासावॉल इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड	2547	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगशी झुओया इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड	1692	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्र. सं. 1 और 2 के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	3058	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	3058	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

*विचाराधीन उत्पाद वॉलपेपर्स हैं, जो पीवीसी वॉलपेपर्स तथा नॉन-वोवन वॉलपेपर्स तक सीमित हैं। डिजिटल कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, नेचुरल वॉलपेपर तथा फैब्रिक-बैक्ड वॉलपेपर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

टिप्पणी - ऊपर उल्लिखित कंपनियों के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का लाभ तभी मिलेगा जब सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किया जाए, जिस पर चालान जारी करने वाली इकाई के उस अधिकारी द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षरित घोषणा हो, जिसका नाम और पदनाम उल्लेखित हो। घोषणा का प्रारूप निम्नानुसार होगा:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान में शामिल भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (संबंधित उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस चालान में उपलब्ध कराई गई सूचना पूर्ण और सही है।” ऐसा चालान प्रस्तुत न किए जाने पर अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लगाया जाएगा। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से अपनाई जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होगी।

ण आगे की प्रक्रिया

181. इन अंतिम जाँच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमावली के संबंधित प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

Digitally signed by
Amitabh Kumar

Date: 25-09-2026

17:08:06

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी